**मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या– 453/2023 रघुवीर सिंह गड़िया बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में ग्राम पपों तहसील बागेश्वर में स्थित पट्टाधारक श्री आनन्द सिंह कालाकोटी के खनन क्षेत्र की संयुक्त निरीक्षण आख्या।**

मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या– 453/2023 रघुवीर सिंह गड़िया बनाम् उत्तराखण्ड राज्य व अन्य के संबंध में दिनांक 01.08.2023 को आदेश पारित किये गये है। जिसके प्रभावी अंश निम्नवत है–

Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position, and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of State PCB and District Magistrate, Bageshwar and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the application, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The Committee may also refer order of this Tribunal dated 09-05-2023 in OA No. 827/2022 relating to mining at Village Sorag, Tehsil Kapkot, District Bageshwar. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

Factual and Action taken Report may be submitted within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of image PDF. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों की प्रति संलग्न है। **(संलग्न–01)**

उक्त आदेशों के कम में सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र यूकेपीसीबी/एच0ओ0/सा0–183–713/ 2023/608 दिनांक 09.08.2023 के द्वारा आदेशित विभागों के निम्न सदस्यों के द्वारा दिनांक 14.09.2023 को स्थलीय निरीक्षण पट्टाधारक श्री आनन्द सिंह कालाकोटी व श्रीमती बीना कालाकोटी ग्राम प्रधान पपों तहसील बागेश्वर की उपस्थिति में किया गया।

1. श्रीमती दीपिका आर्या, तहसीलदार बागेश्वर जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के प्रतिनिधि।
2. डॉ0 डी0के0 जोशी क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी।

**निरीक्षण हेतु शिकायतकर्ता श्री रघुवीर सिंह गड़िया से दूरभाष पर सम्पर्क किया गया, शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में दिल्ली में निवासरत होने के कारण संयुक्त निरीक्षण में उपस्थित नहीं हो सकते हैं।** जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर के निर्देशों के कम में सहायक भू–वैज्ञानिक से भी खनन क्षेत्र के जांच करायी गयी तथा निम्न अधिकारी/कार्मिक द्वारा संयुक्त निरीक्षण में प्रतिभाग किया गया–

01. श्री मयंक आर्या , खान निरीक्षक, भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई, बागेश्वर।
02. श्री पूरन लाल वर्मा, राजस्व उपनिरीक्षक, क्षेत्र चौरा, तहसील बागेश्वर।

संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

**01.** श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दिवान सिंह कालाकोटी, निवासी ग्राम दोफाड़ जनपद व तहसील बागेश्वर के पक्ष में औद्योगिक विभाग अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2424/औ0वि0/74–ख/2001, दिनांक 08–02–2002 के द्वारा जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम पपों के क्षेत्रान्तर्गत कुल 2.81 एकड़ अर्थात 1.14 है0 क्षेत्रफल में खनिजसोपस्टोन का खनन पट्टा 20 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया। उक्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण उपनिबंधक कार्यालय बागेश्वर में दिनांक 22–02–2002 को पंजीकृत किया गया, जिसकी समयावधि दिनांक 21–02–2022 को समाप्त हो जाने के दृष्टिगत औद्योगिक विकास अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 2250/VII-A-1/2021–74ख/2001 दिनांक 03 जनवरी 2022 के द्वारा उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्राविधानुसार श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दिवान सिंह कालाकोटी, निवासी ग्राम दोफाड जनपद व तहसील बागेश्वर के पक्ष में स्वीकृत उक्त खनन पट्टे को आगामी 30 वर्षों तक विस्तारीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। **(संलग्नक–02)**

**02.** राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, 653, इन्दिरानगर कालोनी, सीमाद्वार रोड़, देहरादून (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा गठित) के पत्रांक E.C.No-74-01(37)/2018 दिनांक 06.12.2019 के द्वारा मै0 श्री आनंद सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दीवान सिंह कालाकोटी निवासी ग्राम व पो0 दौफाड़, तहसील व जनपद–बागेश्वर के पक्ष में पर्यावरण स्वीकृति 5105 से 7184 टन प्रति वर्ष हेतु प्रदान की गयी है। **(संलग्नक–03)**

कमशः.........02

**03.** भूत्तव एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, पो0 बड़ासी, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3489/मु0 ख0/खनन/65/सोप स्टोन/बागे0/भू0खनि0ई0/2010-2011 दिनांक 08.12.2022 द्वारा खनिज उत्पादन, के सम्बन्ध में खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बंद करने की योजना का अनुमोदन विभिन्न शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन अनुमोदित किया गया है। उक्त खनन पट्टा वर्ष 2002 से संचालित रहा है। प्रश्नगत खनन पट्टा क्षेत्र में मशीनों के प्रयोग की अनुमति खान सुरक्षा निदेशालय गाजियाबाद के पत्र संख्या 63 दिनांक 01.09.2011 द्वारा प्रदान की गयी थी, जिसकी अनुमति के क्रम में पट्टाधारक द्वारा पूर्व में खनन कार्य हेतु मशीनों का प्रयोग किया गया था। प्रश्नगत खनन पट्टा ग्राम पपों के सीढीनुमा निजी नाप खेतों में स्वीकृत है जिसमें पहाड़ों का कोई कटान किया जाना दृष्टिगोचर नहीं होता है तथापि खनन पट्टा क्षेत्र के उत्तर-पूरब दिशा में भू-स्खलन हुआ है। **(संलग्नक-04)**

**04.** बोर्ड मुख्यालय उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सहमति/ए-358/2023/202 दिनांक 22.05.2023 के द्वारा मै0 श्री आनंद सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दिवान सिंह कालाकोटी निवासी ग्राम व पो0 दौफाड़, तहसील व जनपद-बागेश्वर को पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से सर्शत दिनांक 31.03.2024 तक संचालनार्थ सहमति निर्गत की गयी है। **(संलग्नक-05)**

**05.** तहसील व जनपद बागेश्वर के राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र चौरा अन्तर्गत ग्राम पपों में श्री आनन्द सिंह कालाकोटी के पक्ष में 1.14 है0 में खनन सोपस्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत है। जिसके जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स N 29 53 23 E 79 52 02 हैं। खनन क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 1470 मीटर मी ऊंचाई पर स्थित है। स्वीकृत खनन क्षेत्र के उत्तर में लगभग 15 मी0 की दूरी पर बरसाती नाला, दक्षिण में सीढीनुमा खेत व पगडंण्डी, पूरब दिशा में पक्का रास्ता तथा पश्चिम दिशा की ओर नाप व बंजर भूमि है। स्थल से लगभग 03 कि0मी0 की दूरी पर पुंगर नदी स्थित है। खनन क्षेत्र के बाहर लगभग 100 मीटर की दूरी पर उत्तर-पूरब दिशा में एक नौला अवस्थित है। जिसका जल प्रश्नगत खनन पट्टे के उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होता है।

**06.** निरीक्षण के दौरान स्थल पर खनन क्षेत्र से निकले मलवे का निस्तारण खनन क्षेत्र की उत्तर दिशा में स्थित नाले की ओर 15 x 10 x 1.5 M =225 घनमीटर मलुवा खनन क्षेत्र के बाहर भूमि पर किया जाना पाया गया। जिसमें वायर क्रेट रिटेनिंग वाल की स्थापना नहीं की गयी है। जिससे मलवे का निस्तारण नाले में होने की संभावना है। जो सहमति शर्तो का उल्लंघन है। इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा पट्टाधारक के विरूद्व पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या पृथक से बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की जा रही है **(संलग्नक-06)**

**07.** खनन क्षेत्र से बाहर लगभग 150 मी0 की दूरी पर पूरब दिशा की ओर 05 परिवारों के 08 आवासीय भवन स्थित हैं। संबधितो के आवास को संभावित खतरे के दृष्टिगत स्थल पर पट्टाधारक के द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त 08 आवासीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। जिनमें से 06 आवासीय भवन पट्टाधारक द्वारा निर्मित कर दिये गये हैं तथा 02 भवन निर्माणाधीन हैं। खनन क्षेत्र के पूरब दिशा में स्लाइड/भूस्खलन पाया गया। जिसमें पट्टाधारक द्वारा पूर्व में रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया गया था। उक्त रिटेनिंग वॉल वर्तमान मानसून अवधि में क्षतिग्रस्त हो चुकी है। निरीक्षण पर पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत ही खनन कार्य किया गया है। निरीक्षण तिथि को खनन क्षेत्रान्तर्गत खनन के कारण कोई भी आवास क्षतिग्रस्त होना नहीं पाया गया। स्थल के उत्तर-पूर्व दिशा में भूस्खलन हुआ है, भूस्खलन क्षेत्र का फैलाव लगभग 50 मीटर लम्बाई तथा 30 ऊंचाई में है। निरीक्षण के दौरान स्थल पर उपस्थित ग्राम वासियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थल पर वर्ष 2021 में भी हलका भूस्खलन हुआ था। पट्टाधारक द्वारा दिनांक-09.05.2023 को प्रभावित ग्रामीणों के आवासीय मकानों के निर्माण किये जाने हेतु स्वयं लिखित में दिया गया है। **(संलग्नक-07)**

**08.** मौके पर खनन क्षेत्र के समीप प्रवाहित होने वाले नाले से जल का नमूना लिया गया है। जिसे परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भेजा गया। विश्लेषण आख्या की प्रति संलग्न है, जो Designated Best Use Water Quality Criteria के अनुसार B श्रेणी के अन्तर्गत है। **(संलग्नक-08)**

**09.** **स्थल की क्षेत्रीय तथा स्थानीय भूगर्भीय संरचना-** प्रश्नगत स्थल लघु हिमालय पर्वत श्रखला के विकसित सोपानों के मध्य जौनसार समूह की बैरीनाग फारमेशन के मध्य अवस्थित है। प्रश्नगत स्थल के उत्तर पूरब दिशा में भूस्खलन से ढाल का ओवरवर्डन मटीरियल/डेब्रिस मटीरियल के गिरने से Quartzite चट्टान दृष्टिगोचर हो रही है। जो ज्वाइंटेड तथा फ्रैक्चर्ड है, और प्रश्नगत स्थल पर डोलोमाइट सोपस्टोन की चट्टाने हैं। जो कमजोर सामर्थ्य की दृष्टिगोचर होती हैं। प्रश्नगत स्थल की सतह पर पूर्ण रूप से स्वस्थानिक चट्टानें दृष्टिगौचर नहीं होती हैं।

क्रमशः.........03

**10.** स्थल पर भूस्खलन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र तथा आस–पास का क्षेत्र ओवरवर्डन मटीरियल/डेब्रिस मटीरियल का बना है। स्थल पर डोलोमाइट तथा टेल्क सोपस्टोन प्रकार के टुकड़े मिश्रित अवस्था में मृदा के साथ मौजूद हैं। अत्यधिक वर्षा/वर्षा काल में वर्षा के कारण पानी के द्वारा जल संतृप्तता बढ़ जाती है तथा अन्तर्सतही भाग में अधिक जल होने से मृदा के आवरण का भार बढ जाता है। जो अधिक ढालदार भू–भाग/तीव्र ढाल पर गुरूत्वाकर्षण के कारण क्रिपिंग व भूस्खलन का कारण बनता है।

## अतिरिक्त बिन्दु

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 01.08.2023 के साथ संलग्न शिकायतकर्ता श्री रघुवीर सिंह गढ़िया ग्राम व पोस्ट पपो जिला बागेश्वर के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.04.2023 में अंकित बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही एवं स्थल निरीक्षण में प्रकाश में आये तथ्यों के क्रम मे रिपोर्ट –

**01–** दिनांक 15 मार्च 2023 को तत्कालीन उपजिलाधिकारी महोदय बागेश्वर की उपस्थिति मे खनन एवं राजस्व विभाग के द्वारा उक्त सोपस्टोन खनन माईन का निरीक्षण किया गया तथा स्थल पर परिलक्षित हुये बिन्दुओ/अनियमितओ के अनुसार आख्या जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर को प्रेषित की गयी उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि ग्राम पपों के ग्राम वासियों यथा श्री पूरन राम टम्टा, श्री तेज राम, श्री दीवान राम, श्री चंचल राम, श्री गोपाल राम, श्री बलराम, श्री हरीश राम के संयुक्त हस्ताक्षरित शिकायती पत्र के क्रम में दिनांक 13.05.2023 को राजस्व विभाग तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से शिकायतकर्ताओं व पट्टाधारक तथा अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में जांच की गयी थी तथा पूर्व में जिलाधिकारी महोदय के नोटिस पत्र संख्या–1188/तीस–खनन/2020–21 दिनांक 28.09.2021 द्वारा पट्टाधारक के खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत अनियमिततायें पाए जाने के कारण अग्रिम आदेशों तक खनन कार्य में लगायी गयी रोक के बावजूद निरीक्षण दिनांक–13.05.2023 को पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र में कराये जा रहे कार्य व मौके पर उत्खनित उपखनिज पैमाइस अनुसार कुल 168 घन मी0 पर नियमानुसार रायल्टी का दोगुना रू0 900 प्रति टन की दर से कुल रू 3,32,640/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया तथा संबधित पट्टाधारक द्वारा 01.07.2023 को उक्त वर्णित धनराशि का नियमानुसार चालान निर्धारित लेखाशीर्षक अन्तर्गत जमा किया गया है। **(संलग्नक–9)**

**02–** प्रश्नगत स्थल पर कोई भी अवैध सड़क निर्माण होना नही पाया गया है।

**03–** खनन क्षेत्रान्तर्गत सम्भावित भूस्खलन को दृष्टिगत रखते हुए संबधित पट्टाधारक द्वारा ग्राम पपों के 05 परिवारों हेतु 08 आवासीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है। जिनमें से 06 आवासीय भवन पट्टाधारक द्वारा निर्मित कर दिये गये हैं तथा 02 भवन निर्माणाधीन हैं। निर्माणधीन भवनों को तत्काल पूर्ण निर्मित करने के निर्देश संबधित पट्टाधारक को निरीक्षण के दौरान निर्गत किये गये है।

## –सुझाव–

**01.** भूस्खलित मलुवे को हटाकर उचित स्थान पर मलुवे का निस्तारण किया जाय। मलुवे को गधेरे में ना डाला जाय और प्राकृतिक जल प्रभाव को अवरूद्ध ना किया जाय।

**02.** भूस्खलन की रोकथाम हेतु उपर्युक्त रूप से डिजाइन की गयी सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण किया जाय।

**03.** भूस्खलित ढ़ाल पर जहॉं चट्टान दृष्टिगोचर है, Shotcrete किया जाय।

**04.** प्रश्नगत स्थल के पूरब दिशा में आवासीय भवनों के नीचे ढाल पर उचित निर्धारित स्तरों पर उपयुक्त रूप से डिजाइन की गयी गैबियन दीवार का निर्माण किया जाय।

**05.** भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के ऊपरी भाग में भूस्खलन की रोकथाम हेतु Geo Jute Fiber का प्रयोग किया जाय।

**06.** प्रश्नगत स्थल पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाय।

| | | |
|---|---|---|
| खान निरीक्षक,<br>भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,<br>बागेश्वर। | सहायक भू वैज्ञानिक,<br>भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,<br>बागेश्वर। | उपनिदेशक/खान अधिकारी,<br>भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,<br>बागेश्वर। |
| तहसीलदार,<br>बागेश्वर। | क्षेत्रीय अधिकारी,<br>उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड<br>हल्द्वानी नैनीताल । | उपजिलाधिकारी,<br>बागेश्वर। |

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या- 453/2023 रघुवीर सिंह गड़िया बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 01.08.23 के अनुपालन में आज दिनांक 14/09/23 को मैं० आनन्द सिंह कालाकोटी माइन, ग्राम- पपों, तहसील- बागेश्वर, जिला बागेश्वर का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान निम्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे-

1- डा० डी० के० जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी (उ०प्र०नि० बोर्ड हल्द्वानी) [signature] 14/9/23

2. दीपिका आर्या, तहसीलदार बागेश्वर. [signature] 14/09/2023

3. मयंक आर्या, खान निरीक्षक बागेश्वर. [signature] 14/09/2023

4. भुवन वर्मा स०उ०नि० चौरा, [signature] 14-9-23

5. आनन्द सिंह कालाकोटी पट्टा धारक [signature] Kalakoti

6. बीना कालाकोटी प्रधान पपों बीना कालाकोटी

7.

Ann-1

Annexure-1

Item No. 15 Court No. 2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**
**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 453/2023

Raghubir Singh Garia Applicant

Versus

State of Uttarakhand Respondent

Date of hearing: 01.08.2023

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER**
**HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

**Application is registered based on a letter petition received by E-mail**

**ORDER**

1. The grievance in this present application is against illegal mining of soapstone in District Bageshwar in Uttarakhand which is disturbing the ecological and environmental balance of Village Papon.

2. The applicant has submitted that illegal mining of soapstone is being carried on in Village Papon for several months by Mr. Anand Singh Kalakoti and others by use of heavy machinery causing damage to the surrounding mountains and leading to depletion of natural resources, turning fertile land into barren land and also causing scarcity of water in the area. The debris generated from the mining are polluting Punger River and harming the aquatic life. Complaints were made to the concerned authorities but no action has been taken.

3. *Prima facie*, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act,

2010. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of State PCB and District Magistrate, Bageshwar and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The Committee may also refer order of this Tribunal dated 09.05.2023 in OA No. 827/2022 relating to mining at Village Sorag, Tehsil Kapkot, District Bageshwar. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

4. Factual and Action taken Report may be submitted within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

5. List for further consideration on 01.11.2023.

6. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the State PCB and District Magistrate, Bageshwar by e-mail for requisite compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

August 01, 2023
Original Application No. 453/2023
DV

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या: /VII-A-1/2021–74ख/2001
देहरादून: दिनांक 03 जनवरी, 2022

– कार्यालय ज्ञाप –

औद्योगिक विकास शाखा–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2424/औ0वि0/ 74–ख/2001, दिनांक 08.07.2002 द्वारा श्री आनन्द सिंह कालाकोटी, पुत्र श्री दिवान सिंह कालाकोटी, निवासी ग्राम व पो0ओ0 दोफाड़ तहसील व जनपद बागेश्वर के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम पपों में 2.81 एकड़ अर्थात 1.14है0 क्षेत्रफल में 20 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है, जिसका पंजीकरण पट्टाधारक द्वारा उपनिबन्धक कार्यालय बागेश्वर में दिनांक 22–02–2002 को किया गया है। उक्त स्वीकृत खनन पट्टे की अवधि मूल पट्टा विलेख के पंजीकरण तिथि से दिनांक 21.02.2022 को पूर्ण हो रही है।

2– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–3726/खनन/65/बागे0/भू0खनि0ई0/2010–11, दिनांक 15.12.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में श्री आनन्द सिंह कालाकोटी, पुत्र श्री दिवान सिंह कालाकोटी, निवासी ग्राम व पो0ओ0 दोफाड़ तहसील व जनपद बागेश्वर के पक्ष में जनपद बागेश्वर के पक्ष में जनपद व तहसील बागेश्वर के ग्राम पपों में 2.81 एकड़ अर्थात 1.14है0 क्षेत्रफल में 20 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत खनिज सोपस्टोन के खनन पट्टा को गौण खनिज नीति, 2015 के प्रावधानानुसार 30 वर्ष की अग्रेत्तर अवधि के लिए विस्तारीकरण किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

I. पट्टाधारक द्वारा अनुपूरक खनन पट्टा विलेख से पूर्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई से स्कीम आंफ माइनिंग अनुमोदित करायी जानी होगी।
II. निदेशालय के कार्यालय आदेश सं0 3157/मु0ख0/65 बागे0/खनन/भू0खनि0ई0/2010–11 दिनांक 24.02.2021 के क्रम में वर्ष 2020–21 की रू0 450 प्रतिटन के दर से रू0 21,32,800 की देयता एवं खनन पट्टे की प्रारम्भ तिथि (दिनांक 22.02.2002) से वर्ष 2019–2020 (दिनांक 21.02.2020) तक की पट्टाधारक की अवशेष उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली के नियम–58 के प्रावधानानुसार सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, को कुमाऊँ माइन एसोसियेशन उत्तराखण्ड के प्रत्यावेदन दिनांक 29.07.2021 के क्रम में सचिव, खनन की अध्यक्षता में दिनांक 04–08–2021 को आहूत बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार शासन द्वारा निर्गत होने वाले अन्तिम निर्णय पट्टाधारक को मान्य होगे।
III. पट्टाधारक द्वारा खनन कार्य किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण नियंत्रण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से PCB की अनुमति अग्रेत्तर बढाई जानी होगी।

( लक्ष्मण सिंह )
संयुक्त सचिव।

संख्या: 2250 (1)/VII-A-1/2021, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
3. सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
5. श्री आनन्द सिंह कालाकोटी, पुत्र श्री दिवान सिंह कालाकोटी, निवासी ग्राम व पो0ओ0 दोफाड तहसील व जनपद बागेश्वर।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
( लक्ष्मण सिंह )
संयुक्त सचिव।

AKHIL KUMAR

AKHIL KUMAR

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, 653, इन्दिरा नगर कालोनी सीमाद्वार रोड, देहरादून– 248006 (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा गठित)

दूरभाष नम्बर: 0135–2763576

ईमेल: seiaa.seac.uk@gmail.com

State Level Environment Impact Assessment Authority, 653, Indiranagar Colony, Seemadwar Road Dehradun- 248006 (Constituted by Ministry of Environment, Forests and Climate Change Government of India.)

Phone No- 0135-2763576

Email- seiaa.seac.uk@gmail.com

E.C.No- 74 -01(37)/2018 Dated- 6 -12-2019

To,

Shri Anand Singh Kalakoti,
R/o-Village- Dofar, Tehsil & Distt- Bageshwar.

*Tel. 7505991978*

Sub: **Environmental Clearance under EIA notification dated 14.09.2006 for Extraction of Soapstone in Village - Papaun Teh & Dist - Bageshwar.**

Sir,

This has reference to your proposal No SIA/UK/MIN/90159/2018 dated 31st December, 2018, submitted to the SEIAA for grant of Environmental Clearance for extraction of Soapstone with proposed production capacity 7184 Tonnes/Annum. The mine lease area is located at Village- Village - Papaun Teh & Dist - Bageshwar 1.14 Ha. The proposal was considered by the State Expert Appraisal Committee in its meeting held on 10th February, 2019. The details of the project, as per the documents submitted by the project proponent, and also as informed during the above meeting are as under -

| S No | Details | Reply |
|---|---|---|
| 1 | New or Ongoing Site | Ongoing Site |
| 2 | Government Order | G.O. No. 2424/औ०वि०/74-अ/2001 Dated:08.01.2002 Lease deed registered on 22.02.2002 & lease deed valid up to 21.02.2022. |
| 3 | Mine Plan | SOM Period-2018-19 to 2021-22 up to (21.02.2022) Lapse Period-2017-18 |
| 4 | No. of Pits | 1 pit |
| 5 | Thickness of soil | 0.20m |
| 6 | Maximum explorable depth | 18m Depth From Surface |
| 7 | Balanced undisturbed agriculture land (In Ha.) | 0.268 ha |
| 8 | Total Mineable Reserve | 71168Tonnes |
| 9 | Estimated Quantity | 5105 to 7184Tonnes/Annum |
| 10 | Distance of national park/reserved Forest/Sanctuary | No national park/reserved Forest/Sanctuary exists within 10km radius of proposed mining area. |
| 11 | Green Belt area (valid upto) | 2.0 ha (Four Years) (No. of Plantation 2000) |
| 12 | Method of Mining | Open cast semi mechanised |
| 13 | Mining to be carried out | Mining Shall be carried out in one pit from 1430mRL to 1448mRL |
| 14 | Height and Width of Benches | Height -3.0m, Width-3.0m |
| 15 | Slopes and ultimate face slope | 70° to 75° |
| 16 | Safety Zone | 7.5m wide barrier zone all along the applied lease |
| 17 | River/Nallah (name) | No drainage or nalla passes within area |
| 18 | Coordinates | Latitude: 29°53'19.14"N to 29°53'25.90"N Longitude: 79°52'1.09"E to 79°52'5.66"E |
| 19 | Project cost | ₹58.71 lakhs |
| 20 | Proposed CER cost | ₹2.94 lakhs |

1

Scanned by CamScanner

The SEAC after due consideration of relevant documents submitted by the project proponent and additional clarification furnished in response to its observations have recommended the grant of Environmental Clearance for the project mentioned above subject to compliance with the EMP and other stipulated conditions.

1- **General Conditions**

1. No blasting or drilling shall be permitted during mining operation and only hand held tools shall be permitted.
2. The mining/extraction of mineral and progressive mine closure should be done as per the approved mine plan.
3. The proponent should provide Eco-friendly toilets for the workforce.
4. The mine site should have well demarcated safety zone i.e. mining operation will not be carried out in the vicinity of 100 m from nearby bridges, educational institution or structures of historical importance.
5. The proponent should undertake afforestation activities in the buffer zone as well as in the nearby project site. The afforestation will be done after consultation with local state Forest Department and/or state Horticulture Department for plantation of wild and horticulture plants respectively. Minimum 2000 plants will be planted in first and second year and maintenance of the plantations will be carried out for the next three years.
6. The mining operation would provide local employment and bring economic benefit to local population.
7. Photography of the proposed mining site (preferably using Drone) should be done and submitted to SEIAA along with half-yearly compliance report.

2- ***Conditions for operation phase***

1. The project authorities should advertise at least in two local newspapers widely circulated, one of which shall be in the vernacular language of the locality concerned, within 7 days of the issue of the clearance letter informing that the project has been accorded environmental clearance (EC) and a copy of the EC letter is available with SEIAA, Uttarakhand.
2. The legal status of the mining lease area shall remain unchanged and the Environment Clearance shall remain coterminus with lease period. The mined lease area shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.
3. The mining/extraction of soapstone shall not be done without approved mine plan from designated authority. The mine plan should be revised every 5 years and no fresh mine plan shall be prepared without site inspection by designated authority.
4. The boundary of the mined lease area shall be demarcated on ground by erecting pillars, each inscribed with its serial number, DGPS coordinates, forward and back bearing, and distance from adjoining pillars etc. This demarcation will be ensured by the Revenue Department. A bench mark will be established to monitor depth of the mining. A safety zone of 7.5 mt (surrounding the mine site) shall be left free from mining.
5. The mining shall be carried out by **Open Cast Semi Mechanised** without adopting drilling and blasting operation. The use of hand held mechanically driven equipment is permitted. The use of any electrically driven machinery shall remain prohibited and only hand held tools shall be used for extraction of the mineral.
6. Soapstone mining shall be carried out during sunrise to sunset period only. It shall not involve felling of trees and clearance of vegetation. There shall be no permanent construction at the site except temporary erection of first aid room, office, store, drinking water shed, rest shelter etc.
7. The process of mining and quantity of extractable mineral and subsequently progressive mine closure shall be as per the approved mine plan. The mining operation shall be carried out from **lower level to upper level** by formation of benching pattern. The maximum height of benches shall not exceed 1.5 mt and ultimate pit slope shall be kept at 75 degrees.
8. The maximum permissible depth for mining of soapstone shall not exceed 6 meters or depth of ground water table whichever is less. During first five years of mining lease the depth of mining shall not exceed 3 meters. Mining beyond 6 meters shall be granted after site visit by SEAC.
9. **Extraction of minor mineral is permitted from 1st October of every year to 30th June of the subsequent year or onset of monsoon whichever is earlier. It shall be ensured that no mining activity is carried out during the monsoon season. Workers should be advised and protected against flash flood during 1st June to 30th June and 1st Oct to 31st Oct during which there may be rains in the hills.**
10. Reclamation of the mine lease area shall be through back filling, stabilization and cultivation. The waste and top soil generated during mining shall be temporarily stacked in external dump which will be subsequently vacated and back filled in mined out pits. The waste



Scanned by CamScanner

generated in the area will be backfilled during rains and land made suitable for cultivation. Back filling shall be done in a retreating manner from **lower level to upper level.** Mining activity and back filling shall be done simultaneously once space is available.

11. No disturbance to natural drainage system around the mining lease area shall be done. No mixing of wastes is allowed. The dump site shall be kept away from the nearby nallahs/water bodies and maintained at a distance of at least 100 meters. The external dump shall be protected against slide/slip by adopting suitable mechanical and vegetative measures. Proponent should construct a retaining wall, along the nallah side, with suitable height to protect soil erosion. The construction of toe wall, check dam and planting of grass species/soil binding dwarf species in dump yard shall be done.
12. The project proponent shall undertake transportation of mineral from pit head to road head manually or by mule. Further it shall strictly adhere to the norms of Transport Department in refraining from use of polluting and less fuel efficient vehicles for transporting extracted minerals to final destination. There shall be no over loading of vehicles as against standard norms fixed by Central Government/State Government/Hon'ble Courts from time to time.
13. The project proponent shall regulate and maintain record of the quantity of soapstone extracted during a season. The monitoring shall be ensured by Mines Department/District Administration from time to time.
14. There shall be no labour camp in the mining lease area for the labour engaged in mining of soapstone. The labour engaged in mining shall be provided free fuel wood/alternate source of energy to avoid any pressure on adjoining forest land.
15. **Proponent should submit surface water quality and ambient air quality monitoring report as committed in EMP, with suitable parameters.**
16. Under corporate social responsibility proponent should develop community services such as drinking water, education, housing, sanitation, health, safety and medical facilities, public transportation and communication, social welfare etc.
17. The proponent shall erect eco friendly mobile toilets for the workforce at site and shall ensure disposal of solid waste as per the existing provisions/rules/guidelines.
18. Afforestation shall be carried out in nearby Van Panchayat. The species selection shall be site specific and cater to the demand of the Van Panchayat. The concerned district official of State Forest Department shall ensure the compliance. Proponent should make 5 meter dense plantation of shrubs.
19. The Geology and Mining department shall identify an agency for regular/periodical monitoring of quality of ground water of existing hand pumps and tube wells in the vicinity of the mining site.
20. The project proponent shall formulate a transparent and unbiased procedure for engagement of labourers for sustainable extraction of the minerals from the mining lease area. The project proponent shall ensure that maximum local labour be engaged and hence employment opportunity provided. The project proponent shall follow all safety measures for labour force engaged in accordance with relevant Acts/Rules.
21. The project proponent shall prepare the plan of mining in conformity with the mine lease conditions and the Rules prescribed in this regard thereby clearly delineating the No Work Zone in the mine lease area i.e. at least 100mt distance from Nallahs/Water Bodies, bridges, educational institution or structures of historical importance.
22. Effective safeguard measures, such as regular water sprinkling shall be carried out in critical areas prone to air pollution and having high levels of particulate matter such as loading and unloading point and all transfer points. It shall be ensured that the Ambient Air Quality parameters conform to the norms prescribed by the Central Pollution Control Board in this regard.
23. The project proponent shall provide protective respiratory devices to workers working in dusty areas and they shall also be provided with adequate training and information on safety and health aspects. Periodical medical examination of the workers engaged in the project shall be carried out and records maintained.
24. The proponent shall provide eco friendly mobile toilets for the workforce at site and shall ensure disposal of solid waste as per the existing provisions/rules/guidelines.
25. The project proponent shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.
26. The project proponent should plant 2000 trees in first 2 years followed by their maintainance in the last 3 years. The plants should be planted in the buffer zone of the mining site and in the blank area near by Van Panchayats/Gram Sabha land.
27. Photography of the proposed mining site as well as the plantation sites undertaken by the project proponent showing GPS coordinates should be done (preferably using Drone) and



Scanned by CamScanner

submitted to SEIAA and regional office of MoEF&CC, Govt of India at Dehradun along with half-yearly compliance report.

28. Project proponent will strictly comply with EMP/EIA.
29. Project proponent will have to submit EMP/EIA report to Mining Department (Leases) and Pollution Control Board before getting work order/Consent to Established or Operate.
30. The above environmental safeguards shall be implemented in letter and spirit. The project proponent shall establish Environment Monitoring Cell and also submit six monthly compliance reports to this Authority and regional office of MoEF&CC, Govt of India at Dehradun.

3- **Entire Operation**

1) The Environmental Clearance is being granted for mining/extraction of Soapstone in the approved Mine Lease Area. Legal status of the mining lease area shall remain unchanged and the Environmental Clearance is being granted only for the lease period. The mined lease area shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.
2) The maximum permissible depth for mining of Soapstone shall not exceed 6 meters or depth of ground water table whichever is less. During first five years of mining lease the depth of mining shall not exceed 3 meters. Mining beyond 6 meters shall be granted after site visit by SEAC. However, Authority may also visit the site in operational phase, whenever it is found to be necessary.
3) **Extraction of minor mineral is permitted from 1st October of every year to 30th June of the subsequent year or onset of monsoon whichever is earlier. It shall be ensured that no mining activity is carried out during the monsoon season. Workers should be advised and protected against flash flood during 1st June to 30th June and 1st Oct to 31st Oct during which there may be rains in the hills.**
4) Reclamation of the mine lease area shall be through back filling, stabilization and cultivation. The waste and top soil generated during mining shall be temporarily stacked in external dump which will be subsequently vacated and back filled in mined out pits. The waste generated in the area will be backfilled during rains and land made suitable for cultivation. Back filling shall be done in a retreating manner from **lower level to upper level**. Mining activity and back filling shall be done simultaneously once space is available.
5) The dump site shall be kept away from the nearby nallahs/water bodies and maintained at a distance of at least 100 meters. The external dump shall be protected against slide/slip by adopting suitable mechanical and vegetative measures. The construction of toe wall, check dam and planting of grass species/soil binding dwarf species in dump yard shall be done as given in mining plan.
6) The project proponent shall undertake transportation of mineral from pit head to road head manually or by mule. Further it shall strictly adhere to the norms of Transport Department in refraining from use of polluting and less fuel efficient vehicles for transporting extracted minerals to final destination. There shall be no over loading of vehicles as against standard norms fixed by Central Government/State Government/Hon'ble Courts from time to time.
7) The project proponent shall regulate and maintain record of the quantity of Soapstone extracted during a season. The monitoring shall be ensured by Mines Department/District Administration from time to time.
8) There shall be no labour camp in the mining lease area for the labour engaged in mining of Soapstone. The labour engaged in mining shall be provided free fuel wood/alternate source of energy to avoid any pressure on adjoining forest land.
9) The project proponent shall formulate a transparent and unbiased procedure for engagement of labourers for sustainable extraction of the minerals from the mining lease area. The project proponent shall ensure that maximum local labour be engaged and hence employment opportunity provided. The project proponent shall follow all safety measures for labour force engaged in accordance with relevant Acts/Rules.
10) The project proponent shall provide protective respiratory devices to workers working in dusty areas and they shall also be provided with adequate training and information on safety and health aspects. Periodical medical examination of the workers engaged in the project shall be carried out and records maintained.
11) The project proponent shall ensure compliance to provisions of the all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the project.
12) The above environmental safeguards shall be implemented in letter and spirit. The project proponent shall establish Environment Monitoring Cell and also submit six monthly compliance reports to this Authority and regional office of MoEF&CC, Govt of India at Dehradun.



Scanned by CamScanner

13) The SEIAA reserves the right to include additional safeguard measures if found necessary and also to take action including revoking of the EC granted under provision of EIA Notification 2006. This EC is being granted subject to compliance of Hon'ble Court Orders issued from time to time.
14) Any appeal against this Environment Clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under section of the National Green Tribunal Act, 2010.
15) If it is found that if conditions laid down by the Authority are violated, Authority may cancel your Environmental Clearance.

4- ***Specific Conditions:- (To be followed by Director Industry, Geology and Mining Unit, Govt. of Uttarakhand).***

1- Mining and Geology department of the State Government should recalculate the maximum production levels and should inform the Authority accordingly.
2- A study shall be carried out at least over in a year through mines and geology department to avoid over exploitation of mineral, which may adversely affect the dynamics of site. A copy of said study report shall be submitted to the regional office of the Ministry of Environment and Forest Dehradun and SEIAA, Uttarakhand.
3- The Geology and Mining unit of Industry Department shall identify an agency for regular/periodical monitoring of quality of ground water of existing hand pumps and tube wells in the vicinity of the mining site.
4- Digital processing of the entire lease area using remote sensing technique should be done by Geology and Mining department regularly and report should be submitted to the Ministry of Environment and Forests, Regional office at Dehradun and SEIAA, Uttarakhand.

**(G.S. Pande)**
**Member Secretary,**
**SEIAA, Uttarakhand**

No.- 01(37)/2018 dated- as above

Copy for information and necessary action to-

1) Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change, GoI, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jor Bagh Road, 3rd Floor, Vayu Wing, New Delhi.
2) Principal Secretary, Environment and Forests, Government of Uttarakhand, Dehradun.
3) APCCF, Regional office (Central) MoEF&CC, 25 Subhash Road, Dehradun.
4) Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife)/Chief Wild Life Warden, Dehradun.
5) **District Magistrate, Bageshwar.**
6) Director, Industry, Geology and Mining Unit, Govt. of Uttarakhand, Bhopal pani, The unit shall comply the Specific Conditions and submit the report to SEIAA Uttarakhand
7) **Divisional Forest Officer, Bageshwar.**
8) Member Secretary, UEPPCB, Dehradun.
9) Guard File.

**(G.S. Pande)**
**Member Secretary,**
**SEIAA, Uttarakhand**



Scanned by CamScanner

Ann-4
Annexure-4

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, पोस्ट–बड़ासी, देहरादून।

संख्या /मु0ख0/65/बागे0/खनन/भू0खनि0ई0/ 2010–11, दिनांक 08 दिसम्बर 2022

कार्यालय–ज्ञाप

श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दिवान सिंह कालाकोटी, निवासी ग्राम दोफाड जनपद व तहसील बागेश्वर के के पक्ष में औद्योगिक विकास अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2424/औ0वि0/74–ख/2001, दिनांक 08–01–2002 के द्वारा जनपद व तहसील बागेश्वर, के ग्राम पपों के क्षेत्रान्तर्गत 2.81 एकड अर्थात 1.14 है0 क्षेत्रफल में खनिज सोपस्टोन का 20 वर्ष की अवधि के लिये खनन पट्टा स्वीकृत किया गया। उक्त खनन पट्टा विलेख का पंजीकरण उपनिबंधक कार्यालय बागेश्वर में दिनांक 22–02–2002 को पंजीकृत किया गया। जिसकी समयावधि 21–02–2002 को समाप्त हो जाने के दृष्टिगत औद्योगिक विकास अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 2250/VII-A-1/2021–74ख/2001 दिनांक 03 जनवरी 2022 के द्वारा उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति, 2015(समय–समय पर यथा संशोधित) के प्राविधानानुसार श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दिवान सिंह कालाकोटी, निवासी ग्राम दोफाड जनपद व तहसील बागेश्वर के पक्ष में स्वीकृत उक्त खनन पट्टे को अगामी 30 वर्षो तक विस्तारीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है से सम्बन्धित स्कीम आंफ माइनिंग एवं उत्तरोतर खान ब्रन्द करने की योजना कार्यालय ज्ञाप संख्या 1762/खनन/गौण खनिज–माईनिंग प्लान/26/भू0खनि0ई0/2015–16, दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 तथा उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 844/VII-1/2015/68–ख/2015 दिनांक 31 जुलाई, 2015 यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या 1589/VII-1/2015/68–ख/2015 दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 द्वारा जारी उत्तराखण्ड गौण खनिज नीति–2015 के प्रस्तर–3(दो)(1) एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2001 के नियम 34 के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए कार्यालय आदेश संख्या 2378/खनन/मा0प्ला0/भू0खनि0ई0/14/2022–23, दिनांक 24 सितम्बर 2022 के द्वारा गठित समिति की संस्तुति दिनांक 30–10–2022 के कम में आर0क्यू0पी0 श्री अखिल कुमार, रजिस्ट्रेशन नं0 मु0ख0 / 14 / आर0क्यू0पी0 / यू0के0जी0एम0यू0 /नं0–15/Year 2020 द्वारा तैयार स्कीम आंफ माइनिंग एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना को वैज्ञानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टिकोण से खनन संकियाओं के सुनियोजित संचालन हेतु खनन कार्य सेमी मैक्नाइज्ड माईनिंग से बिना ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग के आगामी पांच वर्ष हेतु **वर्ष 2022–23 में 7184 टन, वर्ष 2023–24 में 7184 टन, वर्ष 2024–25 में 7184 टन, वर्ष 2025–26 में 7184 टन एवं वर्ष 2026–27 में 7184** के उत्पादन हेतु प्रस्तुत स्कीम आंफ माइनिंग एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है :–

**शर्ते/प्रतिबन्धः–**

1. किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि दस्तावेज में दी गई, उपलब्ध कराई गई सूचनाए असत्य अथवा गलत ढंग से दर्शायी गई है, तो दस्तावेज का अनुमोदन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा।
2. खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के अर्न्तगत अपेक्षित कोई सूचना/विषय वस्तु का संगुप्त रखना/छिपाना यदि पाया जाता है और उसके सुधार हेतु कोई प्रस्ताव भी नही दिया जाता है, तो खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन तुरन्त प्रभाव से वापस लेना माना जायेगां।
3. खनन कार्य एवंम खनिजों के खनिज अन्वेषण/खनिज भण्डारण/खनिज का आंकलन एवं सत्यापन अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जाना होगा। अनुमेादित खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुपालन न किये जाने की दशा में खान एवं खनिज (विकास एवं विनिमयन) अधिनियम 1957 एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 के अनुसार कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी।
4. पट्टाधारक द्वारा पट्टा विलेख की समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

5. पट्टाधारक द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, उत्तराखण्ड 653, इन्दिरानगर कांलोनी, सीमाद्वार रोड देहरादून के पत्र सं0 74-01(37)/2018 दिनांक 06–12–2019 द्वारा प्रदत्त पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तो का अनुपालन करते हुये उक्त स्कीम आंफ माइनिंग/उत्तरोत्तर खान बंन्द की स्कीम के अनुसार खनन कार्य करेगा।
6. यह स्कीम आंफ माइनिंग अन्य किसी अधिनियम जो कि खान या क्षेत्र पर लागू होते है या समय–समय पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या अन्य किसी सक्षम द्वारा प्रख्यापित किये जाते है, को छोडकर अनुमोदित की जाती है।
7. यह स्कीम आंफ माइनिंग वन (संरक्षण) अधिनियम–1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे पर समय–समय पर दिये जाये लागू होगे।
8. अनुमोदित यह स्कीम आंफ माइनिंग किसी भी प्रभावी माननीय न्यायालय, मा0 ट्रिब्यूनल एवं किसी प्रकार के अन्य न्यायालय आदि के आदेश एवं दिशा निर्देश के लागू होने को बाधित नही करती है।
9. इस यह स्कीम आंफ माइनिंग एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का अनुमोदन किसी भी न्यायालय के सक्षम क्षेत्राधिकार के किसी आदेश या निर्देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया गया है।
10. प्रत्येक छमाई में खनन क्षेत्र की अनुमोदित खनन योजना के अनुसार आंकलन जिला खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म को आंकलन आख्या प्रस्तुत की जानी होगी।
11. धात्विक खनन अधिनियम 1961 के अनुसार खदान सुरक्षा, खदान में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा एवं स्वास्य की सम्मपूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी।
12. खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना का निष्पादन/कियान्वयन निषेधाज्ञाओं/अधिसूचनाओं, आदि कोई हो तो के रिक्त होने के अधीन होगा।
13. पट्टाधारक जिस खेत में कार्य करेगा उस खेत की सूचना सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी, एवं सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी के कार्यालय को जिस खेत में खनन हो रहा है के भूस्वामी से किये गये अनुबन्ध की छाया प्रति खनन कार्य प्रारम्भ करने के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा।
14. भू–सदर्भित खनन पट्टा प्लान्स सम्मिश्रण उपरान्त भू–संदर्भित वैक्टोराइज्ड खसरा प्लान से पूरी तरह मेल होना चाहिए इसके त्रुटींपूर्ण होने की दशा में सम्बन्धित आर0क्यू0पी तथा पट्टाधारक जिम्मेदार होगें।
15. अनुमोदित खनन योजना एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना की स्कैन प्रति सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं आवेदक को अभिलेखार्थ यथाशीघ्र प्रस्तुत करने का दायित्व सम्बन्धित आर0क्यू0पी0/आवेदक का होगा।

संलग्नकः **स्कीम आंफ माइनिंग**
**एवं उत्तरोतर खान बन्द करने की योजना**
**की अनुमोदित प्रति।**

(एस0 एल0 पैट्रिक)
निदेशक।

संख्या 3489/मु0ख0/खनन/65/सोपस्टोन/बागे0/भू0खनि0ई0/2010–11, तददिनांकित
**प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :**

1. सचिव, खनन, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
3. सदस्य सचिव राज्यस्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) उत्तराखण्ड देहरादून।
4. जिला खान अधिकारी, खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, बागेश्वर।
5. श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दिवान सिंह कालाकोटी, निवासी ग्राम दोफाड जनपद व तहसील बागेश्वर ।
6. श्री अखिल कुमार,, आर0क्यू0पी0 ।

8/12/2022
(एस0 एल0 पैट्रिक)
निदेशक।

राष्ट्र. मी.रोग्र. मं. 100 वर्ष

☏ Office(कार्यालय)0120-2711597 & 2789483
Res.(निवास) 0120-2519816
Fax (फैक्स) 0120-2711597
e-mail (ई-मेल) dmskks@yahoo.com

भारत सरकार/ *Governmnt of India*
श्रम एंव रोजगार मंत्रालय/ *Ministry of Labour & Employment*
खान सुरक्षा महानिदेशालय/ *Directorate General of Mines Safety*
गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद/ *Ghaziabad Region Ghaziabad*

*

| संख्या कमांक/ 63 | कमरा नं0 201-203, द्वितीय तल बी.ब्लाक, सी.जी.ओ.काम्पलैक्स-11, हापुड रोड, कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद-201002, दिनांक 01 /02 /2011 |
|---|---|

प्रेषक

Dr. A.K.Sinha
खान सुरक्षा निदेशक,
गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद.

सेवा मे,

Shri Anand Singh Kalakoti
Owner: Papon Soap Stone Mine
At & P.O.: Dofar, Distt. Bageshwar
Uttarakhand - 263642

विषय: Permission under Regulation 106(2)(b) of the Metalliferous Mines Regulations, 1961, to work by using Heavy Earth Moving Machinery without drilling and blasting at Papon Soap Stone mine of Shri Anand Singh Kalakoti

Dear Sir,

Please refer to your letter nil dated 01.12.10 the plan and sections No. GEMS GEMS/BGWR/PAPN/Stone/SUR/ 2010 signed dated 09.11.10 enclosed therewith.

The matter has been considered in the light of what has been stated in your application under reference.

By virtue of the powers conferred on the Chief Inspector of Mines (also designated as Director General of Mines Safety) under Regulation 106(2)(b) of the Metalliferous Mines Regulations, 1961 and by virtue of authorization granted to me by the Chief Inspector of Mines (also designated as Director General of Mines Safety) under section 6(1) of the Mines Act,1952, I hereby permit you to work by using Heavy Earth Moving Machinery without drilling and blasting at Papon Soap Stone mine of Shri Anand Singh Kalakoti, subject to the following conditions being strictly complied with.

## 1.0 General:

1.1. Except where otherwise provided for in this conditional permission, all provisions of the Metalliferous Mines Regulations, 1961 shall be strictly complied with.

## 2.0 Opencast Working:

### Height and Width of Benches

2.1. (a) The height of the benches in overburden, ore or other rock formation shall not be more than 3.0m or the digging height of the machine used for digging, excavation or removal, whichever is less.



Scanned with CamScanner

(b) Width of any bench shall not be less than-
 (i) 3 times the width of the widest machine plying on the bench, or
 (ii) If dumpers ply on the bench, 3 times the width of the dumper, or
 (iii) the height of the bench, whichever is more.

(c) When persons are employed within 5m of the working face, adequate precautions shall be taken to ensure their safety by dressing the sides of the bench.

**3.0 Roads for Trucks and Dumpers etc:**

3.1 All roads for trucks, dumpers or other mobile machinery shall be maintained in good condition.

3.2 Wherever practicable, all roads from the opencast workings shall be arranged to provide one way traffic.

3.3 a) No road shall be of width less than three time plus 5m width of the largest vehicle plying on road.

b) All corner and bends shall be made in such a way that operator of vehicle have clear view of distance of not less than 3 times the braking distance of largest HEMM working at 40Km/hour.

c) Where it is not possible to ensure a visibility for a distance as mention in (b) there shall be provided with two roads of width not less than 2 times plus 3m of largest vehicle plying on the road with a strong road divider at centre with adequate lighting and reflector along the divider.

d) Where any road existing above level of surrounding area it shall be provided with strong parapet wall/embankment of following dimensions.
 (i) Width at top-not less than 1m.
 (ii) Width at bottom-not less than 2.5m.
 (iii) The height not less than the diameter of tyre of largest vehicle plying on road. It may be noted that just dumping of mud of OB shall not be treated as strong parapet wall.

e) No road shall have gradient more than 1 in 16.

4.0 **Supervision :**

4.1 A person holding at least managers permit certificate of competency under Regulation 34 (5) of the Metalliferrous Mine Regulations 1961, shall be appointed as the manager of the mine to look after HEMM operation. This permission shall stand revoked as soon as the qualified manager ceases to work at the mine. The use of HEMM shall be suspended in the absence of manager with aforesaid qualification.

4.2 i) The aggregate horse power of the machinery used in such opencast workings shall not exceed 500-

ii) No blasting shall be carried out in such workings.

iii) Adequate numbers of supervisors including duly qualified Mates shall be appointed in each working shift to assist the manager

iii) The manager shall not manage more than one mine.

iv) No ore dressing/handling /processing plant shall be attached with the mine

4.3 **General:** Manager shall frame code of practices for each operation and copy of it shall be handed over to all concerned. It shall be the duty of all statutory persons to enforce the code of practices so framed.

4.4 He shall in particular:-

(a) make frequent inspections for evidence of slides or of material that may slide or roll from the high wall (including the face and sides) or spoil-bank;



Scanned with CamScanner

(46)

(b) not allow any person to work under overhanging ledges or where there is evidence of slides, until such danger has been removed;

(c) ensure that every person engaged in dressing operations on high walls/sides is provided with, and uses, a safety belt of a type approved by the Chief Inspector;

(d) ensure that all loose material is removed from high wall/side before persons are engaged there, and

5.0 **Maintenance of Machines:**

5.1 If the engineer, mechanical foreman or other competent person making an inspection notices any defect in any machinery, the said machinery shall not be used until the defect has been remedied.

5.2 Any defect in a machinery reported by its operator shall be promptly attended to.

5.3 Any machine found to be in an unsafe operating condition shall be tagged at the operator's position 'OUT OF SERVICE DO NOT USE' and its use shall be prohibited until the unsafe condition has corrected.

5.4 All repairs to a machine shall be done at a location which will provide a safe place for the persons engaged on repairs.

5.5 Except for testing, trial or adjustment which must necessarily be done while the machine is in motion, every machine shall be shut down and positive means taken to prevent its operation while any repair or manual lubrication is being done.

5.6 Power shall be disconnected when repairs are made to any electric machine.

5.7 Any machinery, equipment or part thereof which is suspended or held apart by use of slings, hoists or jacks shall be substantially blocked or cribbed before men are permitted to work underneath or between such machinery, equipment or part thereof.

5.8 All repairs of a machinery or vehicle shall be done at properly laid repair sheds and workshops so as to ensure due protection to work persons deployed at those places from the movement of heavy earth moving machinery.

5.9 Every place of drilling and earth moving machinery or equipment and every truck, dumper etc. shall be maintained in good and safe working condition.

5.10 a) Every machinery or vehicle shall be provided with efficient warning devices and rear lights and efficient brakes.

b) Every shovel or dragline shall be so designed as to afford the operator clear and uninterrupted vision all around and shall be provided with portable lamp for emergency, suitable portable fire extinguishers and retracting ladder.

c) The operator's cabin of heavy earth moving machinery shall be well designed and substantially built so as to ensure adequate protection to the

(2)



Scanned with CamScanner

operator against heat, dust, noise etc. and at the same time provided adequate safety to the operator in the event of overturning of heavy earth moving machinery. A seat belt for the safety of the operator shall be provided.

5.11 a) The code of instructions furnished by the manufacturers in the matter of maintenance of various machinery and vehicles and preventive maintenance schedules for each type of machinery and vehicle shall be strictly followed.

b) Every machine and vehicle shall be allocated at least one day in every week for maintenance. Before the machine or vehicle is sent out for work after maintenance, it shall be thoroughly inspected by the Engineer or mechanical foreman or other competent person, appointed by the manager in writing, who shall satisfy himself that
the machine or vehicle is mechanically sound and in efficient working order.

c) A report of every inspection made under clause (b) shall be recorded in a bound paged book kept for the purpose, and shall be signed and dated by the person making the inspection.

d) Every machine in use shall be thoroughly inspected once at least in every 24 hours by a competent person. Any damaged or worn out parts shall be replaced immediately.

e) A report of every inspection made under Clause (d) shall be recorded in a bound paged book kept for the purpose and shall be signed and dated by person making the inspection.

5.12 Shift examination of machinery and vehicle:-

a) At the commencement of every shift, the engineer or mechanic or foreman or other authorized competent persons shall personally inspect and test every machine and vehicle paying special attention to the following details:

(i) that the brakes and the horn or other warning devices are in working order.

(ii) if the vehicle or machine is required to work after day light hours that the lights are in working order. He shall not permit the vehicle or machine to be taken out for work nor shall he drive the vehicle unless he is satisfied that it is mechanically sound and in efficient working order.

b) He shall also maintain a record of every inspection in a bound paged book kept for the purpose. Every entry in the book shall be signed and dated by the person making the inspection.

5.13 **Safety features of dumper, Excavator, dozer (Cir 9/2008)**

A) **Dumper :** The following safety feature shall be provided in dumper.

i. Mechanical steering locking to prevent untoward movement of steering wheel and tyre while work persons working below the cabin while engine is running.



Scanned with CamScanner

ii. Blind spot mirror apart from rear view mirror to enable operator to have clear visibility of blind spot in and around dumpers.
iii. Mechanical type Anti collision device to avoid head to tail collision on haul road such as tail gate, bumper extension or any other strong device.
iv. Fire resistant hydraulic hoses in place of ordinary hoses to decrease the chance of fire. All the sleeves and conducts where cable / wire are passed shall be fire resistant.
v Seat belt for operator.
vi. The maximum speed of vehicle shall be restricted to 30Km/hours by blocking higher gear or any other automatic means.
vii Proper shaft guard.
viii. Proximity working device.

B) **Excavators:** The following safety feature shall be provided in excavators.

(i) All functions cut off switch
(ii) Swing Motor Brake
(iii) Fire resistant hydraulic hoses in place of ordinary hoses to decrease the chance of Fire. All the sleeves and conducts where cable/wire are passed shall be fire resistant.
(iv) Turbo charger Guard
(v) Seat belt
(vi) Vent valve on top of hydraulic tank should be able to be removed without any tool
(vii) A baffle plate between cold zone and hot zone
viii) Provision for limiting of hydraulic cylinders- Stoppers

C) **Dozers:** The following safety feature shall be provided in dozers.

1. Roll over protection
2. Turbo charge guard.
3. Fire resistant hydraulic hoses and wiring near hot zone.
4. Seat belt.

D) **General:**

1. The approved type of audio visual alarm shall be provided in all equipment.
2. The approved type of fire suppression system shall be provided in all equipment.
3. The stability test of HEMM shall be carried out at least once in year and after every major over haul by an independent agency.
4. The crane and overhead crane shall be subject to proof load test and NDT test once in a year from a competent authority.
5. The pressure vessel receiver are subjected to hydraulic and NDT test and shall be carried out by a competent authority.
6. In case of any defect in equipment such as brake, steering and safety device the equipment shall be immediately taken out of use and a record shall be kept.
7. The code of practice for installation operation and maintenance of all equipment shall be prepared and implemented before putting the equipment to use in mine.
8. The safety feature recommend in equipment shall be a part of notice inviting tender for new procurement and the design and drawing shall be obtained from OEM for fitting the same in old equipment.



Scanned with C...

9. The lay out of the workshop shall be required as per DG's Circular No. 8 of 2003. 9.0

## 6.0 Operation of machines:

6.1 (a) No person other than the operator or his helper if any or the manager or any person so authorized in writing by the manager shall ride on a shovel or dragline.

(b) No person shall be permitted to ride in the bucket of a shovel

(c) No shovel or dragline shall be operated in a position where any part of the machine, suspended loads or lines are brought closed than 3 metres to exposed high voltage lines, unless current has been cut off and the line de-energized. A notice of this requirement shall be posted at the operator's position.

(d) Electrical cables, if any, shall be laid in such a manner that they are not endangered either by falling rocks or by a mobile equipment.

6.2 (a) Shovel bucket shall be pulled out of the bank as soon as it is full.

(b) When not in operation, the bucket shall be pulled out of the bank as soon as it is full.

(c) When being operated in soft or unstable ground, every shovel (and dragline) shall be supported by heavy planks or poles so as to distribute the load of the machine over larger area and to prevent any danger of the shovel (or dragline) over-turning.

(d) When not in use, the shovel or dragline shall be moved to and stood on stable ground.

6.3 If more than one stripping machine is in use in any area, either on the same bench or on different benches, the machines shall be so spaced that there is no danger or accident from flying or falling objects etc. from one machine to the other.

## 7.0 Duties of Mechanics, Fitters and Engineers:

7.1 a) At the commencement of every shift, he shall personally inspect and test every machine and vehicle paying special attention to the following details:

(i) that the brakes and the warning devices are in working order;

(ii) if the vehicle or machine is required to work after day-light hours, that the lights are in working order.

He shall not permit the vehicle or machine to be taken out for work nor shall he drive the vehicle unless he is satisfied that it is mechanically sound and in efficient working order.

(b) The mechanic shall maintain a record of every inspection in a bound paged book kept for the purpose. Every entry in the book shall be signed and dated by the person making the inspection.

### 7.2 ADDITIONAL DUTIES OF ENGINEERS PLACED IN CHARGE OF MACHINES AND EQUIPMENTS IN OPENCAST WORKINGS:

During each shift the machines and equipments at work shall be placed under the charge of qualified and experienced engineer to effect inspection, examination, safe operations and maintenance of the machines, equipments and accessories. During his shift the engineer/engineers shall;

a) inspect, examine machines, equipments and accessories and satisfy himself that they are in sound and safe working order;



Scanned with CamScanner

(44)

b) not allow any machine, equipment to be used, if it is found defective;

c) ensure that every machine, equipment, accessory used is in a safe and efficient order;

d) ensure that each operation, activity is carried on in safe and efficient manner.

**8.0 Operation of Truck, Dumpers and other Vehicles:**

8.1 No person shall be permitted to ride on the running board of a truck or dumper.

8.2 (a) As far as possible loaded trucks or dumpers shall not be reversed on gradient.

(b) Sufficient stop blocks shall be provided at every tipping point and these shall be used on every occasion the material is dumped from the truck, dumper, or other such vehicle.

(c) Standard Traffic Rules shall be adopted and followed during movement of all trucks and dumpers. They shall be prominently

(d) displayed at the relevant places in the opencast working and truck/dumper roads.

8.3 No person shall be permitted to work on the chassis of truck or dumper with the body in a raised position until the truck or dumper body has been securely blocked in position. The mechanical hoist mechanism alone shall not be depended upon to hold the body of the truck or dumper in raised position.

8.4 No unauthorized person shall be permitted to enter or remain in any dumping yard or turning point

8.5 When not in use every truck or dumper shall be moved to and stood on proper parking places.

8.6 Every dumper/tipper/truck shall be provided with suitable fire extinguishers preferably Automatic suitably placed for operation/convenient use.

8.7 Every dumper/tipper/truck shall be provided with automatically operating audio-visual reversing alarm, which shall always be kept in working order.

9.0 **Duties of Machine operators:**

(a) The operator shall not operate the machine when persons are in such proximity as to be endanger

(b) He shall not swing the bucket of shovel over passing haulage units. While the trucks/dumpers are being loaded, he shall swing over the body of the truck/dumper and not over the cab, unless the cab is protected by a substantially strong cover.

9.1 The operator shall not allow any unauthorized person to ride on the machine.

**10.0 Duties of Truck / Dumper Operators:**

10.1(a) He shall not drive too fast, shall avoid distractions, and shall drive defensively. He shall not attempt to overtake another vehicle unless he can see clearly far enough ahead to be sure that he can pass it safely. He shall also sound the audible warning signal before overtaking.

(b) When approaching a stripping equipment, the driver of the truck, dumper shall sound the audible warning signal and shall not attempt to pass the stripping equipment until he has received proper audible signal in reply.

(c) Before crossing a road or railway line, he shall reduce his speed, look in both directions along the road or line and shall proceed across the road or line only if it is safe to do so.



Scanned with CamScanner

(d) The driver shall sound the audible warning signal while approaching 'blind' corner or any other point from where persons may walk in front unexpectedly.

(e) The driver shall not operate the truck or dumper in reverse unless he has a clear view of the area behind the vehicle or he has the assistance of a 'spotter' duly authorized in writing for the purpose by the manager. He shall give an audible warning signal before reversing a truck or dumper.

(f) The driver shall be sure of clearance before driving through tunnels, archways, plant structures etc.

10.2 The driver shall see that the vehicle is not overloaded and that the material is not loaded in a truck or dumper so as to project horizontally beyond the sides of its body and that any material projecting beyond the front or rear is indicated by a red flag during the day and by red light after day light hours.

10.3 The driver shall not allow any unauthorized persons to ride on the vehicle. He shall also not allow more than the authorized number of persons to ride on the vehicle.

**11.0 Miscellaneous:**

11 (a) Trucks, tippers and other heavy vehicles, not belonging to management shall not be allowed in the mine premises without a valid pass issued by the competent authority of the mine. Before the pass is issued the mine engineer/competent person shall check the roadworthiness of such vehicle. In order to check the entry of such vehicle in the mine premises, properly manned check gate shall be provided at the mine entrance where the record of entry & exit of each vehicle shall be maintained. At the check gate the license of the drivers shall also be checked for eliminating the possibility of unlicensed persons driving the vehicle.

11. (b) (i) Persons engaged in surface operation and in particular, the contractor's workers shall be provided closer and competent supervision.

(ii) All persons engaged at any work within the mine premises through the contractors shall be provided relevant training and other job related briefings and that the drivers of the vehicle belonging to contractors entering the mine premises have additionally been explained the salient provisions of "Traffic Rules".

(iii) Each and every operation, including the operation carried out through contractor's worker or by outside agency, shall be placed under the charge of a competent supervisor, duly appointed and authorized by the manager.

12.0 Suitable "Code of Practice" for all operations shall be framed by the Mines Manager and enforced for prevention of injuries to persons working in the mine.

13.0 No manual workers shall be employed on any bench where HEMM is deployed or on the next lower bench. Manual workers shall be employed only after withdrawal of HEMM and only at the places where benches conform to the requirement of Regulation 106(1), 106(4) and 106(5) of the Metalliferous Mines Regulations, 1961.

14.0 All the precautions and directives given in DGMS circulars issued from time to time shall be compiled with

15.0 The Owner, Agent and Manager shall ensure that the aforesaid conditions are made known to all concerned. They shall also ensure that every such person has fully understood the same and complies with them.

16.0 Please note that. this permission is subject to the following additional conditions:

16.1 In the event of any change in the circumstances connected with this permission which is likely to endanger the life of workmen employed in the mining operation for which this



Scanned with CamScanner

(AB)

permission has been granted shall be stopped forthwith and intimation thereof sent to this Directorate. The said mining operation shall not be resumed without an express and fresh permission in writing.

16.2 This permission may be amended or withdrawn at any time should it be considered necessary in the interest of safety.

16.3 This permission is being issued specifically under the regulations mentioned above and without prejudice to any other provision of law, which may be or may become applicable at any time.

भवदीय

(Dr. A.K.Sinha)

खान सुरक्षा निदेशक,

गाजियाबाद क्षेत्र, गाजियाबाद.



Scanned with CamScanner

UKPCB

HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gaura Devi Paryavaran Bhawan"
46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun
E-mail : msukpcb@yahoo.com, Phone No.-0135-2607092

UKPCB/HO/Con/A-358/2023/ 202 Date : 22.05.2023

**REGD. POST**

To,

M/s Anand Singh Kalakoti Soapstone Mine,
Vill. Papaun,
Tehsil & Distt. Bageshwar.

**Consolidated Consent to Operate and Authorisation hereinafter referred to as the CCA (Consolidated Consent & authorization) (Renewal) under Section-25 of the "Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974" and under Section-21 of the "Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981" and Authorization under "Rule-6(2)" of the "Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016" notified under "Environment (Protection) Act, 1986" as applicable** (to be referred hereinafter as **Water Act, Air Act** and **HW Rules** respectively).

| | |
|---|---|
| **CAF ID - 8478** | **Application No. – 1184649** |
| **CCA (Renewal)** | **Date :- 27.01.2023** |

CCA is hereby granted to **M/s Anand Singh Kalakoti Soapstone Mine** for mining of Soapstone at **Vill. Papaun, Tehsil & Distt. Bageshwar** subject to the provisions of the **Water Act, Air Act** and **Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016** and the orders that may be made further and subject to following terms and conditions :-

1. This CCA is **granted for the period upto 31.03.2024** and valid for mining of following product(s) with **Capital Investment/Net Assets Values ₹ 3.96 Lacs. :-**

| S. No. | Last CCA | | Present CCA (Renewal) | |
|---|---|---|---|---|
| | Product | Quantity (Per Year) | Product | Quantity (Per Year) |
| 1 | Soapstone | 7184 MT | Soapstone | 7184 MT |

2. **Specific Conditions under Water Act :-**

(i) **The daily quantity of effluent discharge (KLD) :-**

| | Last CCA | Present CCA (Renewal) |
|---|---|---|
| Trade Effluent | Nil | Nil |
| Sewage | Nil | 0.5 |

(ii) **Trade Effluent Treatment and Disposal :-** ………...……………Nil………………………….

(iii) **Sewage Treatment and Disposal** :- The applicant shall provide comprehensive Septic Tank/Soak pits as is required with reference to influent quantity and quality.

3. **Conditions under Air Act :-**

(i) The applicant shall not use any fuel.
(ii) Unit has to maintain ambient air quality and ensure that the same be kept within norms as prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986.
(iii) Unit has to follow ambient noise standards for night and day time as prescribed for respective areas/zones which are as follows :-

| Standards for Noise level in db(A) Leq | Industrial Area | | Commercial Area | | Residential Area | | Silence Zone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Day time | Night time | Day time | Night time | Day time | Night time | Day time | Night time |
| | 75 | 70 | 65 | 55 | 55 | 45 | 50 | 40 |

Day time : from 6.00 a.m. to 10.00 p.m., Night time: from 10.00 p.m. to 6.00 a.m.

4. **Conditions under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016** :- There shall not be any hazardous waste, hence this rule is not applicable.

5. This CCA is valid for Extraction/mining of Soapstone by the process of Open cast semi mechanized method without drilling & blasting operation only.

6. **Compulsory documents to be submitted by the Industry/Unit :-**
   (i) Environment Statement in **Form-V** of **Environment (Protection) Rules, 1986.**
   (ii) Quarterly **compliance report of the CCA, photograph of ETP/APCs/Waste Storage Area.**

7. Unit has to apply for renewal of CCA well in advance of 60 days of expiry of this CCA.

8. Competent Authority reserves the right to change/modify/add any time any condition of this CCA.

9. Unit has to comply with the other **Specific & General Conditions** which are as follows.

**Specific Conditions:-**

1. **The Consent to Operate will attract execution of Board's Order dated 02.12.2022 subject to directions of Hon'ble High Court in this regard in the PIL 93/2022 as issued from time to time.**
2. The Occupier shall under take mining in conformity with approved Mining Plan with the conditions and Rules prescribed in this regard, and instruction issued time to time.
3. The Occupier shall make permanent piller(s) along the boundary of the mining area and shall display details as- Name of Occupier, Lease Date & Validity, Lease Area etc. at prominent place.
4. The Occupier shall ensure that whatever deployment of labour attracts the Mines Act, the provision thereof shall be strictly followed.
5. The Occupier shall ensure regular water sprinkling in critically prone to air pollution and having high levels of Particulate Matter (PM) such as loading and unloading points and all transfer points.
6. The Occupier shall undertaken adequate safeguard measures during extraction of minor minerals and ensure that due to this activity the hydro-geological refine of surrounding area shall not be affected.
7. Vehicular emission shall be kept under Control and regularly monitored. The mined material/over burden shall be carried out through the covered vehicles only and vehicles carrying the mined material/over burden shall not be overloaded.
8. Mining of soap stone only shall be carried out as per approved mining plan. Drilling/blasting etc shall be carried out only after prior approval of the Competent Authority.
9. Periodical medical examination of workers engaged in mining activity shall be carried out and records maintained.
10. The Occupier shall take all precautionary measures during mining operation for conservation & protection of endangered fauna & flora etc.
11. No change shall be made in mining technology and scope of mining work without prior approval of competent authority.
12. Mining shall be carried out in stipulated time and duration as permitted by competent authority.

13. The Occupier shall comply with the directions/instructions issued by the competent authority from time to time.
14. The Occupier shall strictly adhere to the conditions of Environment Clearance issued by the competent authority & provisions of approved mining plan, scrupulously.
15. The occupier shall comply with the Environment Management Plan and shall execute proposed environment management activities, scrupulously.
16. Overburden generated from the mining process shall be managed and restored as per approved mining plan. Illegal disposal/dump of overburden shall be treated as non compliance.
17. The Occupier(s) shall mark the mining area as per allotted mining lease by Competent Authority and mining shall be carried out only in approval mining area.
18. The Occupier shall ensure to submit Ambient Air Quality Report at quarterly basis.
19. The Occupier shall strictly adhere to **Approved Mining Plan with Progressive Mining Closure Plan** duly approved by the competent authority. In case of non-compliance, this CCA shall stand withdrawn.
20. The Soapstone mining capacity shall not exceed the mining capacity as permitted by the Directorate of Geology & Mining, Uttarakhand.
21. The Occupier shall strictly adhere to condition of Consent to Establish and CCA issued by this Board.
22. Mining and other allied activities shall be carried out such a way so that ambient air quality of the area does not exceed the prescribed limit.
23. The Occupier shall strictly adhere to the provisions of the Water Act, Air Act, Environment (Protection) Act, and Rules/Notifications made thereunder.
24. **The applicant shall strictly avoid the usage of single use plastics in the premises as per the list of banned single use plastics mentioned in the notification of MoEF&CC, Government of India dated 12.08.2021 and notification of Uttarakhand Government issued vide letter no. 84/XXVIII-1-20-13(II)/2001 dated 16.02.2021.**

**General Conditions:-**

1. The applicant shall get analyse the samples of effluent/emission/hazardous wastes at least once in a three month from the laboratory recognized by the MoEF&CC and shall report to the UKPCB.
2. The applicant shall however, not without the prior consent of the **Board** bring into use any new or altered outlet for the discharge of effluent or gases emission or sewage waste from the unit.
3. Treated waste water and domestic waste water shall be disposed jointly at one disposal point. The applicant shall provide discharge measurement equipment at final disposal point.
4. The applicant shall strictly comply with conditions of this CCA and submit compliance report of stipulated conditions within 30 days of receipt of this CCA. If, at any point of time, it is found that the industry is not complying with stipulated conditions or any further direction/instruction issued by the **Board**, legal action shall be initiated against the applicant.
5. The applicant shall maintain good housekeeping. All valves/pipes/sewer/drains etc. must be leak-proof.
6. The industry shall provide "Inspection Book" at the time of inspection to the Board's officials.
7. Whenever due to any accident or other unforeseen act or event, such emission occurs or is apprehended to occur in excess of standards laid down, such information shall be reported to the Board's offices and all other concerned offices. In case of failure of pollution control equipment, the production process connected to it shall be stopped with immediate effect.
8. The industry shall operate in a manner so that all emissions be emitted through designated chimney/stack only.
9. In case of any damage to the agriculture productivity, human habitation etc. by the operation of industry, it shall be imperative to stop production in the industry with immediate effect and such information shall be reported to Board's offices. The industry

shall be liable to pay compensation also in such cases as decided by the Competent Authority.

10. The applicant shall apply before the 60 days of expiry of CCA or any change in production types/ production capacity/manufacturing process/capacity enhancement etc. or any change in effluent discharge point or emission point.
11. The **Board** reserves the right to revoke/add/modify any stipulated condition issued along with CCA, as may be necessary.
12. The person authorized shall not rent, lend, sell, transfer or otherwise transport the hazardous waste without permission of Board.

**S.K. Pattnaik**
**Member Secretary**

**Letter No.: UKPCB/ HO/CON./A-358/2023/ Dated as Above.**

Copy to: **Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Haldwani, Distt. Nainital** for information and compliance of the same.

**Member Secretary**

Ann-6

Annexure-6

# क्षेत्रीय कार्यालय
## उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
### आवास विकास कालोनी, हल्द्वानी (नैनीताल)

UKPCB

Ph No.- 05946-225618, 221532 Web Site-www.ueppcb.uk.gov.in

Ref: UKPCB/ROH/ रि /23/ 1538 – 537 Dt- 12/10/23

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड़ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

विषय– मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या 453/2023 रघुवीर सिंह गडिया बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय पत्रांक यूकेपीसीबी/एच0ओ0/सा0–183–713/2023/608 दिनांक 09.08.2023 के कम में एवं मा0 एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या 453/2023 रघुवीर सिंह गडिया बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के अनुपालन में ग्राम–पपों तहसील–बागेश्वर में स्थित पट्टाधारक श्री आनंद सिंह कालाकोटी के खनन क्षेत्र का निरीक्षण दिनांक 14.09.2023 को किया गया। स्वीकृत खनन क्षेत्र के उत्तर में लगभग 15 मीटर की दूरी पर बरसाती नाला, दक्षिण में सीढीनुमा खेत व पगडंण्डी, पूरब दिशा में पक्का रास्ता तथा पश्चिम दिशा की ओर नाप व बंजर भूमि है। स्थल से लगभग 3 कि0मी0 की दूरी पर पुंगर नदी स्थित है। खनन क्षेत्र के बाहर लगभग 100 मीटर की दूरी पर उत्तर पूरब की दिशा में एक नौला अवस्थित है। जिसका जल प्रश्नगत खन पट्टे के उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होता है। निरीक्षण के दौरान स्थल पर खनन क्षेत्र से निकले मलवे का निस्तारण खनन क्षेत्र की उत्तर दिशा में नाले की ओर 15 x 10 x 1.5 M = 225 घन मीटर मलवा खनन क्षेत्र के बाहर भूमि पर किया जाना पाया गया। जिसमें वायर केट रिटेनिंग वाल की स्थापना नहीं की गयी है। जिससे मलवे का निस्तारण नाले में होने की संभावना है। जो सहमति शर्तो का उल्लंघन है। अतः पट्टाधारक द्वारा राज्य बोर्ड से प्राप्त सहमति शर्तो अनुपालन नहीं किया गया है। तद्कम में मै0 आनंद सिंह कालाकोटी माईन के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

(डॉ0 डी0के0जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

Ann-7

Annexure-7

सत्यमेव जयते

# INDIA NON JUDICIAL

## Government of Uttarakhand

e-Stamp

एन० एस० दानू
ई-स्टाम्प विक्रेता
आई० डी० नं०-UK123770
बागेश्वर

| | | |
|---|---|---|
| Certificate No. | : | IN-UK37023986984221V |
| Certificate Issued Date | : | 17-Feb-2023 03:55 PM |
| Account Reference | : | NONACC (SV)/ uk1237704/ BAGESHWAR/ UK-BG |
| Unique Doc. Reference | : | SUBIN-UKUK123770479910327799331V |
| Purchased by | : | RAJAN RAM SO LACHHAM RAM |
| Description of Document | : | Article 4 Affidavit |
| Property Description | : | NA |
| Consideration Price (Rs.) | : | 0 (Zero) |
| First Party | : | RAJAN RAM SO LACHHAM RAM |
| Second Party | : | ANAND SINGH SO DIWAN SINGH RO DOFAR BGR |
| Stamp Duty Paid By | : | RAJAN RAM SO LACHHAM RAM |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : | 10 (Ten only) |

06/04/023

Sworn & Signed
Before me
Prem Singh Parihar
Adv. / Notary
Distt - Bageshwar (U.K)

NOTARY
P.S. PARIHAR
DISTT - BAGESHWAR
REG NO - 4/12
2003
GOVT. U.K. (INDIA)

NOTARIAL NOTARIAL

Please write or type below this line



Scanned with CamScanner

E STAMP NUMBER:- UK37023986984221V DATE 17/02/2023

## अनुबन्ध पत्र

**प्रथम पक्षः– आनन्द सिह कालाकोटी पुत्र श्री दीवान सिह कालाकोटी, ग्राम दोफाड़ पो0 दोफाड़ जनपद बागेश्वर।**

**द्वितिय पक्षः– राजन पुत्र श्री लछम राम ग्राम पर्पो पो0 पर्पो जनपद बागेश्वर।**

1. कि प्रथम पक्ष द्वारा ग्राम व पो0 पर्पो में सोपा स्टोन माईनिंग का कार्य मैसर्स आन्नद सिह कालाकोटी के नाम से संचालित किया जा रहा है।
2. कि द्वितिय पक्ष का आवासीय भवन उपरोक्त माईन के क्षेत्र में स्थित है जिसे कि माईनिंग के कार्य होने के कारण नुकसान हो रहा है तथा भवन जर्जर स्थिति मे आ गया है।
3. कि उपरोक्त आवासीय भवन वर्तमान में रहने योग्य नही रह गया है तथा कभी भी दुर्धटना का कारण बन सकता है।
4. कि प्रथम पक्ष उपरोक्त आवासीय भवन को जमीन सहित अन्यत्र स्वयं की लागत पर पूर्ण रूप से बनाने हेतु सहमत हैं।
5. उपरोक्त भवन के निर्माण आदि में जो भी व्यय होगा वह श्री आनन्द सिह कालाकोटी के द्वारा वहन किया जायेगा तथा द्वितिय पक्ष के द्वारा कोई व्यय वहन नही किया जायेगा।
6. उपरोक्त हेतु प्रथम पक्ष द्वारा द्वितिय पक्ष को 02 कमरा, शौचालय तथा किचन के निर्माण का व्यय प्रथम पक्ष द्वारा द्वितिय पक्ष को किया जायेगा जिसनें से प्रथम पक्ष द्वारा द्वितिय पक्ष को रू0 50000.00 चैक द्वारा एवं 20000.00 नगद पूर्ण में दी गई है जिसे कि द्वितिय पक्ष के द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा बाकी धनराशि का भुगतान किस्तो में किया जायेगा।
7. उपरोक्त शर्तो के अनुसार द्वितिय पक्ष को खनन हेतु कोई आपत्ति नही है तथा खनन कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न नही किया जायेगा।

कि उपरोक्त समस्त शर्ते दोनो पक्षो द्वारा स्वस्थ्य मानसिह स्थिति में सोच समझकर पढ़ी गई एवं गवाहो की उपस्थिति में हस्ताक्षरित की गई।

दिनांकः– 28/02/2023

50000 नगद
50000 चैक 15.5.2023.

प्रथम पक्ष राजन राम

द्वितिय पक्ष

गवाहः–

1. श्री ललित मोहन जोशी पुत्र श्री महेश चन्द्र जोशी तहसील रोड बागेश्वर।
2.

06/04/023

NOTARY ★ GOVT. U.K. (INDIA) ★
P.S. PARIHAR
DISTT - BAGESHWAR
REG NO - 4/12
2003



Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते

# INDIA NON JUDICIAL

## Government of Uttarakhand

e-Stamp

एन० एस० धानु
ई-स्टाम्प विक्रेता
आई० डी० नं०-UK1237704
बागेश्वर

| | | |
|---|---|---|
| Certificate No. | : | IN-UK37023501882698V |
| Certificate Issued Date | : | 17-Feb-2023 03:53 PM |
| Account Reference | : | NONACC (SV)/ uk1237704/ BAGESHWAR/ UK-BG |
| Unique Doc. Reference | : | SUBIN-UKUK123770479912022535622V |
| Purchased by | : | RAMESH RAM SO LACHHAM RAM |
| Description of Document | : | Article 4 Affidavit |
| Property Description | : | NA |
| Consideration Price (Rs.) | : | 0 (Zero) |
| First Party | : | RAMESH RAM SO LACHHAM RAM |
| Second Party | : | ANAND SINGH SO DIWAN SINGH RO DOFAR BGR |
| Stamp Duty Paid By | : | RAMESH RAM SO LACHHAM RAM |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : | 10 (Ten only) |

06/04/023

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY GOVT. U.K. (INDIA)
P.S. PARIHAR
DISTT. BAGESHWAR
REG NO.-4/12
2003

Please write or type below this line

रमेश राम

E STAMP NUMBER:- UK37023501882698V DATE 17/02/2023

## अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्षः– आनन्द सिह कालाकोटी पुत्र श्री दीवान सिह कालाकोटी, ग्राम दोफाड़ पो0 दोफाड़ जनपद बागेश्वर।

द्वितिय पक्षः– रमेश राम पुत्र श्री लछम राम ग्राम पपों पो0 पपों जनपद बागेश्वर।

1. कि प्रथम पक्ष द्वारा ग्राम व पो0 पपों में सोपा स्टोन माईनिंग का कार्य मैसर्स आन्नद सिह कालाकोटी के नाम से संचालित किया जा रहा है।
2. कि द्वितिय पक्ष का आवासीय भवन उपरोक्त माईन के क्षेत्र में स्थित है जिसे कि माईनिंग के कार्य होने के कारण नुकसान हो रहा है तथा भवन जर्जर स्थिति में आ गया है।
3. कि उपरोक्त आवासीय भवन वर्तमान में रहने योग्य नही रह गया है तथा कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है।
4. कि प्रथम पक्ष उपरोक्त आवासीय भवन को जमीन सहित अन्यत्र स्वयं की लागत पर पूर्ण रूप से बनाने हेतु सहमत है।
5. उपरोक्त भवन के निर्माण आदि में जो भी व्यय होगा वह श्री आनन्द सिह कालाकोटी के द्वारा वहन किया जायेगा तथा द्वितिय पक्ष के द्वारा कोई व्यय वहन नही किया जायेगा।
6. उपरोक्त हेतु प्रथम पक्ष द्वारा द्वितिय पक्ष को 02 कमरा, शौचालय तथा किचन के निर्माण का व्यय प्रथम पक्ष द्वारा द्वितिय पक्ष को किया जायेगा जिसमें से प्रथम पक्ष द्वारा द्वितिय पक्ष को रू0 50000.00 चैक द्वारा एवं 20000.00 नगद पूर्ण में दी गई है जिसे कि द्वितिय पक्ष के द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा बाकी धनराशि का भुगतान किस्तो में किया जायेगा।
7. उपरोक्त शर्तो के अनुसार द्वितिय पक्ष को खनन हेतु कोई आपत्ति नही है तथा खनन कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न नही किया जायेगा।

कि उपरोक्त समस्त शर्ते दोनो पक्षो द्वारा स्वस्थ्य मानसिह स्थिति में सोच समझकर पढ़ी गई एवं गवाहो की उपस्थिति में हस्ताक्षरित की गई।

दिनांकः– 28/02/2023

50000 नकद
50000 चेक 15.5.2023

प्रथम पक्ष रमेश राम

द्वितिय पक्ष

गवाहः–

1. श्री ललित मोहन जोशी पुत्र श्री महेश चन्द्र जोशी तहसील रोड बागेश्वर।

2.

06/04/

Sworn & Signed
Before me
Prem Singh Parihar
Adv. / Notary
Distt - Bageshwar (U.K)

NOTARY ✦ GOVT. U.K. (INDIA) ✦ P. S. PARIHAR DISTT - BAGESHWAR REG NO - 4/12 2003



Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते

# INDIA NON JUDICIAL

## Government of Uttarakhand

e-Stamp

| | | |
|---|---|---|
| Certificate No. | : | IN-UK37023863918745V |
| Certificate Issued Date | : | 17-Feb-2023 03:54 PM |
| Account Reference | : | NONACC (SV)/ uk1237704/ BAGESHWAR/ UK-BG |
| Unique Doc. Reference | : | SUBIN-UKUK123770479910851731509V |
| Purchased by | : | DARPAN RAM SO LACHHAM RAM |
| Description of Document | : | Article 4 Affidavit |
| Property Description | : | NA |
| Consideration Price (Rs.) | : | 0 (Zero) |
| First Party | : | DARPAN RAM SO LACHHAM RAM |
| Second Party | : | ANAND SINGH SO DIWAN SINGH RO DOFAR BGR |
| Stamp Duty Paid By | : | DARPAN RAM SO LACHHAM RAM |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : | 10 (Ten only) |

06/04/2023

NOTARY ★ (INDIA) ★ GOVT. U.K. P.S. PARIHAR DISTT.- BAGESHWAR REG NO.- 4/12 2003

CANCELLED

NOTARIAL NOTARIAL

Please write or type below this line



Scanned with CamScanner

E STAMP NUMBER:- UK37023863918745V DATE 17/02/2023

# अनुबन्ध पत्र

**प्रथम पक्षः– आनन्द सिह कालाकोटी पुत्र श्री दीवान सिह कालाकोटी, ग्राम दोफाड़ पो0 दोफाड़ जनपद बागेश्वर।**

**द्वितिय पक्षः– दरबान राम पुत्र श्री लछम राम ग्राम पपों पो0 पपों जनपद बागेश्वर।**

1. कि प्रथम पक्ष द्वारा ग्राम व पो0 पपों में सोपा स्टोन माईनिंग का कार्य मैसर्स आन्नद सिह कालाकोटी के नाम से संचालित किया जा रहा है।
2. कि द्वितिय पक्ष का आवासीय भवन उपरोक्त माईन के क्षेत्र में स्थित है जिसे कि माईनिंग के कार्य होने के कारण नुकसान हो रहा है तथा भवन जर्जर स्थिति में आ गया है।
3. कि उपरोक्त आवासीय भवन वर्तमान में रहने योग्य नही रह गया है तथा कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है।
4. कि प्रथम पक्ष उपरोक्त आवासीय भवन को जमीन सहित अन्यत्र स्वयं की लागत पर पूर्ण रूप से बनाने हेतु सहमत है।
5. उपरोक्त भवन के निर्माण आदि में जो भी व्यय होगा वह श्री आनन्द सिह कालाकोटी के द्वारा वहन किया जायेगा तथा द्वितिय पक्ष के द्वारा कोई व्यय वहन नही किया जायेगा।
6. उपरोक्त हेतु प्रथम पक्ष द्वारा द्वितिय पक्ष को 02 कमरा, शौचालय तथा किचन के निर्माण का व्यय प्रथम पक्ष द्वारा द्वितिय पक्ष को किया जायेगा जिसमें से प्रथम पक्ष द्वारा द्वितिय पक्ष को रू0 50000.00 चैक द्वारा एवं 20000.00 नगद पूर्ण में दी गई है जिसे कि द्वितिय पक्ष के द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा बाकी धनराशि का भुगतान किस्तो में किया जायेगा।
7. उपरोक्त शर्तो के अनुसार द्वितिय पक्ष को खनन हेतु कोई आपत्ति नही है तथा खनन कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न नही किया जायेगा।

कि उपरोक्त समस्त शर्ते दोनो पक्षो द्वारा स्वस्थ्य मानसिह स्थिति में सोच समझकर पडी गई एवं गवाहो की उपस्थिति में हस्ताक्षरित की गई।

**दिनांकः– 28/02/2023**

50000 नगद
100000 चेक 15.5.2023

प्रथम पक्ष — द्वितिय पक्ष

दरबानराम

गवाहः–

1. श्री ललित मोहन जोशी पुत्र श्री महेश चन्द्र जोशी तहसील रोड बागेश्वर।
2.

26/04/23

Sworn & Signed
Before me
Prem Singh Parihar
Adv. / Notary
Distt - Bageshwar (U.K.)

NOTARY GOVT. U.K. (INDIA)
P.S. PARIHAR
DISTT - BAGESHWAR
REG NO - 4/12
2003



Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते

# INDIA NON JUDICIAL

## Government of Uttarakhand

e-Stamp

एन० एस० दानू
ई-स्टाम्प विक्रेता
आई० डी० सं०-UK123770
बागेश्वर

| | | |
|---|---|---|
| Certificate No. | : | IN-UK37023562857918V |
| Certificate Issued Date | : | 17-Feb-2023 03:54 PM |
| Account Reference | : | NONACC (SV)/ uk1237704/ BAGESHWAR/ UK-BG |
| Unique Doc. Reference | : | SUBIN-UKUK123770479911564882004V |
| Purchased by | : | HIRA RAM SO LACHHAM RAM |
| Description of Document | : | Article 4 Affidavit |
| Property Description | : | NA |
| Consideration Price (Rs.) | : | 0 (Zero) |
| First Party | : | HIRA RAM SO LACHHAM RAM |
| Second Party | : | ANAND SINGH SO DIWAN SINGH RO DOFAR BGR |
| Stamp Duty Paid By | : | HIRA RAM SO LACHHAM RAM |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : | 10 (Ten only) |

06/06/2023

Prem Singh Parihar
Notary

NOTARY
P. S. PARIHAR
DISTT - BAGESHWAR
REG NO - 4/12
2003
GOVT. U.K. (INDIA)

NOTARIAL NOTARIAL

Please write or type below this line



Scanned with CamScanner

E STAMP NUMBER:- UK37023562857918V DATE 17/02/2023

## अनुबन्ध पत्र

**प्रथम पक्षः– आनन्द सिह कालाकोटी पुत्र श्री दीवान सिह कालाकोटी, ग्राम दोफाड़ पो0 दोफाड़ जनपद बागेश्वर।**

**द्वितिय पक्षः– हीरा राम पुत्र श्री लछम राम ग्राम पर्पो पो0 पर्पो जनपद बागेश्वर।**

1. कि प्रथम पक्ष द्वारा ग्राम व पो0 पर्पो में सोपा स्टोन माईनिंग का कार्य मैसर्स आन्नद सिह कालाकोटी के नाम से संचालित किया जा रहा है।
2. कि द्वितिय पक्ष का आवासीय भवन उपरोक्त माईन के क्षेत्र में स्थित है जिसे कि माईनिंग के कार्य होने के कारण नुकसान हो रहा है तथा भवन जर्जर स्थिति में आ गया है।
3. कि उपरोक्त आवासीय भवन वर्तमान में रहने योग्य नही रह गया है तथा कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है।
4. कि प्रथम पक्ष उपरोक्त आवासीय भवन को जमीन सहित अन्यत्र स्वयं की लागत पर पूर्ण रूप से बनाने हेतु सहमत है।
5. उपरोक्त भवन के निर्माण आदि में जो भी व्यय होगा वह श्री आनन्द सिह कालाकोटी के द्वारा वहन किया जायेगा तथा द्वितिय पक्ष के द्वारा कोई व्यय वहन नही किया जायेगा।
6. उपरोक्त हेतु प्रथम पक्ष द्वारा द्वितिय पक्ष को 02 कमरा, शौचालय तथा किचन के निर्माण का व्यय प्रथम पक्ष द्वारा द्वितिय पक्ष को किया जायेगा जिसमें से प्रथम पक्ष द्वारा द्वितिय पक्ष को रू0 50000.00 चैक द्वारा एवं 20000.00 नगद पूर्ण में दी गई है जिसे कि द्वितिय पक्ष के द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा बाकी धनराशि का भुगतान किस्तो में किया जायेगा।
7. उपरोक्त शर्तो के अनुसार द्वितिय पक्ष को खनन हेतु कोई आपत्ति नही है तथा खनन कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न नही किया जायेगा।

कि उपरोक्त समस्त शर्ते दोनो पक्षो द्वारा स्वस्थ्य मानसिह स्थिति में सोच समझकर पड़ी गई एवं गवाहो की उपस्थिति में हस्ताक्षरित की गई।

**दिनांकः– 28/02/2023**

50000 नगद
100000 चैक 15.5.2023

प्रथम पक्ष                                        द्वितिय पक्ष

हीरा राम

गवाहः–

1. श्री ललित मोहन जोशी पुत्र श्री महेश चन्द्र जोशी तहसील रोड बागेश्वर।
2.

NOTARY * GOVT. U.K. (INDIA)
P.S. PARIHAR DISTT. BAGESHWAR REG NO.-4/12 2003

Sworn & Signed
Before me
Prem Singh Parihar
Adv. / Notary
Distt - Bageshwar (U.K)



Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते

# INDIA NON JUDICIAL

## Government of Uttarakhand

e-Stamp

एन० एस० बानू
ई-स्टाम्प विक्रेता
आई० डी० नं०-UK1237704
कपकोट

| | | |
|---|---|---|
| Certificate No. | : | IN-UK58671596216338V |
| Certificate Issued Date | : | 19-Jun-2023 11:31 AM |
| Account Reference | : | NONACC (SV)/ uk1237704/ BAGESHWAR/ UK-BG |
| Unique Doc. Reference | : | SUBIN-UKUK123770423605015540727V |
| Purchased by | : | ANAND SINGH KALAKOTI SO DIWAN SINGH KALAKOTI |
| Description of Document | : | Article 4 Affidavit |
| Property Description | : | NA |
| Consideration Price (Rs.) | : | 0 (Zero) |
| First Party | : | ANAND SINGH KALAKOTI SO DIWAN SINGH KALAKOTI |
| Second Party | : | NA |
| Stamp Duty Paid By | : | ANAND SINGH KALAKOTI SO DIWAN SINGH KALAKOTI |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : | 10 (Ten only) |

CANCELLED

NOTARIAL NOTARIAL

Please write or type below this line

NOTARY
Bindeshwari Joshi
GOVT. OF U.K. (INDIA)
Reg. No.
13(12)/2022

# शपथ पत्र

मैं कि आन्नद सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह पटटाधारक सोप स्टोन माइंस पपों वाला यह शपथ पत्र इस प्रकार प्रस्तुत करता हूँ।

1. कि पटटाधारक द्वारा जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेशानुसार ग्राम पपों में सुरक्षा दीवार पूर्ण हो चुकी है गडडों का समतलीकरण किया जा चुका हूँ।
2. कि कुछ मकान बन चुके है तथा कुछ मकानों का निमार्ण कार्य चल रहा है बिलडिंग मैटिरियल कार्य स्थल में पडा है।
3. कि काश्तकारों को फसली मुआवजा पटटाधारक देने को राजी हुआ लेकिन काश्तकारों द्वारा पकडा नहीं गया है, पटटाधारक कभी भी काश्तकारो को फसली मुआवजा देने को तैयार है।3
4. रास्तो का काम वर्तमान में सुचारू है शपथी द्वारा जल्द ही कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा।

ह0 शपथी

अतः शपथी कमशः1 लगायत 4 बिन्दु को सत्य घोषित करता है।

ह0 शपथी

NOTARY
GOVT. OF U.K. (INDIA)
Bindeshwari Joshi
Dist.-Bageshwar
Reg. No.
13/.../2022

Sworn and signed Before me
BINDESHWARI JOSHI
NOTARY
DISTT. BAGESHWAR (U.K.) INDIA
19/08/23



Scanned with CamScanner

सत्यमेव जयते

**INDIA NON JUDICIAL**

## Government of Uttarakhand

**e-Stamp**

आर्ह० डी० के० uk1237704 बागेश्वर

| | | |
|---|---|---|
| Certificate No. | : | IN-UK35571404162514V |
| Certificate Issued Date | : | 10-Feb-2023 01:57 PM |
| Account Reference | : | NONACC (SV)/ uk1237704/ BAGESHWAR/ UK-BG |
| Unique Doc. Reference | : | SUBIN-UKUK123770476996037562758V |
| Purchased by | : | MOHAN SINGH SO JASOD SINGH |
| Description of Document | : | Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement |
| Property Description | : | NA |
| Consideration Price (Rs.) | : | 0 (Zero) |
| First Party | : | MOHAN SINGH SO JASOD SINGH |
| Second Party | : | ANAND SINGH SO DIWAN SINGH RO DOFAR BGR |
| Stamp Duty Paid By | : | MOHAN SINGH SO JASOD SINGH |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : | 10 (Ten only) |

06/04/2023
Sworn & Signed
Before me
Prem Singh Parihar
Adv. / Notary
जिला - Bageshwar (U.K)

NOTARY ★ P.S. PARIHAR DISTT - BAGESHWAR REG NO - 4/12 2003 ★ GOVT. U.K. (INDIA)

CANCELLED

NOTARIAL NOTARIAL

अनुबन्ध पत्र

यह कि प्रथम पक्ष आनन्द सिंह कालाकोटी ग्राम दोफाड़ निवासी द्वितीय पक्ष मोहन सिंह ग्राम निवासी पचों आपस में सहमति तय करते है कि बिना किसी दबाव में और स्वस्थ मानसिक दशा में लिखा तथा हस्ताक्षरित किया गया है।

1. यह कि आज दिनांक 11-02-2023 से जो कि 2 नाली खेत श्री मोहन सिंह जी का है। इसे तीन साल के लिए पट्टा धारक आनन्द सिंह कालाकोटी 5 लाख रुपये में तय किया गया है।
2. यह कि पहली किस्त 250000/ प्रथम किस्त के रूप में मार्च 2024 में देय होगी तथा दूसरी किस्त 250000 रुपया मार्च 2025 में पूर्ण देय रहेगी।

ह० प्रथम पक्ष Kalakoti

मोहनसिंह
ह० द्वितीय पक्ष



Scanned with CamScanner

कार्यालय उपजिलाधिकारी बागेश्वर
आवक प्राप्ति संख्या 253 दि० 09/5/23

सेवा में

श्रीमान् उपजिलाधिकारी महोदय
बागेश्वर।

**विषयः ग्राम पपों सोप स्टोन माईन पट्टाधारक आनन्द सिंह कालाकोटी के शिकायती पत्र के सापेक्ष निर्मित व सुधार की गयी कार्य के संदर्भ में प्रत्युत्तर।**

**महोदय,**

विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त विषयक संदर्भ में पट्टाधारक आनन्द सिंह कालाकोटी ग्राम पपो पटवारी क्षेत्र चौरा तहसील व जिला बागेश्वर में 1.14 है0 भूमि क्षेत्र में खडिया खनन् पट्टा स्वीकृत है। पूर्वत खनन् काल में कार्यरत खनिज निकासी के दौरान बने गड्ढे/पीट को समतलीकरण व जलभराव को पूर्णतः ठीक कर दिया गया हैं।

महोदय साथ ही साथ खनन् परिक्षेत्र के परिजनो के अच्छादीत मकानों का निर्माण कार्य पट्टा धारक के द्वारा दी गयी राशि के द्वारा निंम्नाकित नाम दर्ज लोगो का मकान निर्माण कार्य पूर्ण किया गया चूका है जो क्रमशः–

1 प्रकाश राम पुत्र श्री साधु राम

2 बलराम पुत्र श्री लछम राम

3 दरवान राम पुत्र श्री लछम राम

4 हीरा राम पुत्र श्री लछम राम

5 राजन राम पुत्र श्री लछम राम

6 रमेश राम पुत्र श्री लछम राम

एवं (7) श्रीमती हीरा देवी पति श्री मोहन राम (8) कैलाश राम पुत्र श्री तेज राम के भकान कार्य निर्माणाधिन है।

अतः महोदय उपरोक्त लिखित तथ्यों को देखते हुए सन्तोषप्रद कार्य की सुनिश्चित हेतु विभागीय जॉच आख्या रिर्पोट संस्तुति कराने की कृपा करें।

190

धन्यवाद

Thr Bag

र०नि० जॉच कर आख्या दें।

Reader

स्थानः– बागेश्वर

दिनांकः– 09/05/2023

प्रार्थी

Akalakoti

आनन्द सिंह कालाकोटी
(पट्टा धारक)
पपों सोप स्टोन माईन
पटवारी क्षेत्र चौरा
तहसील व जिला बागेश्वर

SDM Bag
12/05/23

BC/RSI चौरा



Scanned with CamScanner

न्यायिक

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

**लिखत/ अनुबन्ध पत्र**

हम कि गोकुल सिंह गड़िया उम्र वयस्क पुत्र स्व0 श्री वीर सिंह गड़िया एवं श्रीमती जानकी देवी उ वयस्क पत्नी स्व0 श्री वीर सिंह गड़िया निवासीगण ग्राम व पोस्ट पपां, तहसील दुग नाकुरी जिला बागेश्वर प्रथ पक्ष वाले यह लिखत आप श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र स्व0 श्री दीवान सिंह कालाकोटी निवासी ग्र दोफाड़, पो0 दोफाड़, तहसील व जिला बागेश्वर द्वितीय पक्ष वालों के पक्ष में इस प्रकार लिखकर निष्पादित कि देते हैं कि हम प्रथम पक्षकार आपस में माता– पुत्र हैं तथा ग्राम पपों के तोक पल्ला मूअरू में हम दोनों माता ए पुत्र की जमीन है। आप द्वितीय पक्ष के नाम ग्राम पपों में खड़िया खनन का पट्टा स्वीकृत है। उक्त तोक पल्ल मुअरू भी आपकी लीज के अर्न्तगत आता है जिस कारण हम दोनों भाईयान अपने उक्त तोक की समस्त भू को आप द्वितीय पक्ष को रू0 नौ लाख पचास हजार रूपये ( 9,50,000/–) में खड़िया खनन कार्य करने खड़िया स्टोर करने के लिए दिये दे रहे हैं। यदि उक्त भूमि में आप द्वितीय पक्ष द्वारा खड़िया खनन का का किया जाता है तो उस खड़िया के सम्पूर्ण दोहन कर लिये जाने के बाद आप द्वितीय पक्ष द्वारा उस भूमि में पु खेत बनाये जायेंगे। आप द्वितीय पक्ष के खनन क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाली उक्त तोक पल्ला मुअरू की सम्पू भूमि जब तक आप द्वितीय पक्ष की लीज रहेगी तब तक आप द्वितीय पक्ष के पास ही रहेगी। तयसुदा भूमि व कीमत मध्ये रू0 2,00,000/– आप द्वितीय पक्ष द्वारा हम प्रथम पक्षकारान को जुलाई 2016 में अदा की जायेग शेष रकम सन 2020 तक आप द्वितीय पक्ष द्वारा हम प्रथम पक्षकारान को अदा कर दी जायेगी। यह लिखत ह दोनों ही पक्षकारान की पूर्ण सहमति व गवाहान की उपस्थिति में आज दिनांक 06.05.2016 को लिखवा कर रख गया ताकि प्रमाण रहे और वक्त जरूरत काम आवे।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष — हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

नाम पता एवं हस्ताक्षर गवाहान –

1.

2.

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL

कोष. बागेश्वर 26 2016

लेखाकार रोकड़ सहायक कोषाधिकारी

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND M 369895

## लिखत/ अनुबन्ध पत्र

हम कि खींम सिंह गड़िया उम्र वयस्क पुत्र श्री गुमान सिंह गड़िया एवं मोहन सिंह गड़िया उम्र वयर पुत्र श्री जसौद सिंह गड़िया निवासीगण ग्राम व पोस्ट पपों, तहसील दुग नाकुरी जिला बागेश्वर प्रथम पक्ष वा यह लिखत आप श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र स्व0 श्री दीवान सिंह कालाकोटी निवासी ग्राम दोफाड़, पं दोफाड़, तहसील व जिला बागेश्वर द्वितीय पक्ष वालों के पक्ष में इस प्रकार लिखकर निष्पादित किये देते हैं f हम प्रथम पक्षकार आपस में सगे चचेरे भाई हैं तथा ग्राम पपों के तोक पल्ला मूअरू में हम दोनों भाईयान व आपस में लगी हुई जमीन है। आप द्वितीय पक्ष के नाम ग्राम पपों में खड़िया खनन का पट्टा स्वीकृत है। उक्त तोक पल्ला मुअरू भी आपकी लीज के अर्न्तगत आता है जिस कारण हम दोनों भाईयान अपने उक्त तोक व समस्त भूमि को आप द्वितीय पक्ष को रू0 सात लाख ( 7,00,000/–) में खड़िया स्टोर करने व अन्य उपयोग लिए दिये दे रहे हैं। यदि उक्त तोक में स्थित हमारी भूमि में पानी के धारे के नीचे वाले क्षेत्र में खड़ि निकलती है और आप द्वितीय पक्ष द्वारा उसका दोहन किया जाता है तो आप द्वितीय पक्ष द्वारा हम प्रथ पक्षकारान को 12,00,000/– रू0 बारह लाख रू. अदा किया जायेगा। यदि उक्त भूमि में आप द्वितीय पक्ष द्वा खड़िया खनन का कार्य किया जाता है तो उस खड़िया के सम्पूर्ण दोहन कर लिये जाने के बाद आप द्विती पक्ष द्वारा उस भूमि में पुनः खेत बनाये जायेंगे। आप द्वितीय पक्ष के खनन क्षेत्र के अर्न्तगत आने वाली उक्त तो पल्ला मुअरू की सम्पूर्ण भूमि जब तक आप द्वितीय पक्ष की लीज रहेगी तब तक आप द्वितीय पक्ष के पास रहेगी। तयसुदा भूमि की कीमत मध्ये रू0 1,50,000/– आप द्वितीय पक्ष द्वारा हम प्रथम पक्षकारान को जुल 2016 में अदा की जायेगी शेष रकम सन 2020 तक आप द्वितीय पक्ष द्वारा हम प्रथम पक्षकारान को अदा कर जायेगी। यह लिखत हम दोनों ही पक्षकारान की पूर्ण सहमति व गवाहान की उपस्थिति में आज दिनांक 06.0 2016 को लिखवा कर रखा गया ताकि प्रमाण रहे और वक्त जरूरत काम आवे।

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष — हस्ताक्षर प्रथम पक्षकारान

नाम पता एवं हस्ताक्षर गवाहान –

1\. Mb. 9837061106

2\. DHAN

253

12-5-2023

R.N. 213 19/5/2023

उपजिलाधिकारी महोदय बागेश्वर की सेवा में अवलोकन में R.S.I. चौरा से प्राप्त रिपोर्ट मय संलग्नकों के अवलोकनार्थ प्रति प्रेषित। [illegible]

[illegible]
19/5/2023

कानूनगो महोदय
बागेश्वर

महोदय,
[illegible] आख्या प्रेषक से संलग्न है।
16.05.2023
R.S.I. CHAURA
Teh. [illegible]

Recd on
[illegible]

BC

[illegible]
18/5/23

(253)

Thr Bag

कृ० यह अवगत कराये की क्या पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र के आस-पास पूर्व में हुए भूस्खलन आदि के बचाव हेतु उचित प्रबन्धन किये गये हैं अथवा नहीं तथा पट्टाधारक को आईमारी में उल्लिखित कमियों का निराकरण के संबंध में भी मय साक्ष्य सहित आख्या दें।

Kluy
SDM Bag
20/05/23

BC/RSI चौरा

तहसीलदार महोदय
बागेश्वर

महोदय,
मैं सादर अवगत [illegible] आपके पूर्व [illegible] आदेश के अनुपालन [illegible] ऊपर / पहाड़ी [illegible] के खनन क्षेत्र में [illegible] वर्षों में हुए खनन के [illegible] सुरक्षात्मक उपाय किये [illegible] दिनांक 15.3.2023 को उपजिलाधिकारी महोदय [illegible] द्वारा [illegible] को [illegible] पर निर्देशित किया गया था [illegible] सुरक्षात्मक कार्य कराये जाने हेतु [illegible] (आगर रोड) को [illegible] जिस क्रम में [illegible]

[illegible]
23/5/23



Scanned with CamScanner

S.N. 213 12/5/2023

R.S.I
चौरा

कृ० आवेदक / जन्मजीत पट्टाधारक द्वारा अपनी
[illegible] प्रार्थना पत्र में कतिपय व्यक्तियों के
अवैध निर्माण करना अंकित किया है आप द्वारा
अपनी रिपोर्ट में उक्त [illegible] का [illegible] किया गया है
एवं सम्बन्धितों को [illegible] नहीं कि आवेदक ने
उक्त क्रम में [illegible] में प्रार्थना पत्र अंकित व्यक्तियों
प्रार्थना पत्र के क्रमांक 01 से 08 तक [illegible] के विषय में
से अवगत करायें। अवैध निर्माणाधीन [illegible] अभिलेख प्राप्त
(पट्टाधारक द्वारा बनाये गये) लिखित
रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

[signature]
16/5/2023

तहसीलदार महोदय
बागेश्वर

महोदय, आपके पूर्वांकित आदेश के अनुपालन में आवेदक / पट्टाधारक द्वारा अपने संलग्न प्रार्थना पत्र दिनांक 09.05.2023 जिन व्यक्तियों के भवन निर्माण करने की [illegible] उल्लेख किया गया है सम्बन्धितों के [illegible] अभिकथन लिये गये, जो मूल में संलग्न हैं, जिसमें से क्रमांक प्रार्थना पत्र के क्रमांक 01 से 06 तक के व्यक्तियों ने [illegible] अपने लिखित अभिकथनों में यह कहा गया कि पट्टाधारक द्वारा ही भूमि [illegible] को [illegible] द्वारा अपने भवन का निर्माण का [illegible] गया है (की [illegible]) जबकि क्रमांक 7 में अंकित व्यक्ति [illegible] द्वारा अपने लिखित अभिकथनों में कहा गया कि पत्नी [illegible] द्वारा [illegible] करने का कार्य / काम किया पट्टाधारक द्वारा वर्तमान में [illegible] भवन [illegible] जा रहा है।

क्रमांक 8 में अंकित श्री कैलाशराम [illegible] निवासी [illegible] जांच के दौरान [illegible] उपस्थित नहीं मिले; उनके [illegible] में [illegible] पट्टाधारक की [illegible] तथ्य से [illegible] Mob No 7535083758 पर [illegible] पट्टाधारक [illegible] भवन निर्माण करने की पुष्टि नहीं की गई जिसे Mob [illegible] द्वारा पट्टाधारक [illegible] है। श्री कैलाशराम के उक्त [illegible] एवं [illegible] उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। श्री कैलाशराम [illegible] पट्टाधारक की [illegible] [illegible] में [illegible] श्री [illegible] द्वारा श्री कैलाशराम [illegible] जिसके द्वारा अपने [illegible] में [illegible] द्वारा [illegible] करने की बात कहते हैं लिए मकान बनाने का कार्य शुरू किया गया है। [illegible] करने की [illegible]
अतः आदेश के अनुपालन में उपरोक्त बिन्दुओं पर [illegible] सम्बन्धितों के मूल अभिकथनों के साथ प्रेषित।
(संलग्न [illegible] - 04 [illegible])

[signature]
राजस्व उपनिरीक्षक
R.S.I. CHAURA

सेवा में,

तहसीलदार महोदय

बागेश्वर

विषय- ग्राम-पर्यो सोप स्टोन माईन पट्टाधारक आनन्दसिंह कालाकोटी के विज्ञप्ति पत्र के सापेक्ष निरीक्षण व सुधार की गयी कार्य के सन्दर्भ में प्रत्युत्तर।

महोदय, उपरोक्त विषयक आपकी श्री आनन्दसिंह कालाकोटी (पट्टाधारक) पर्यो सोप स्टोन माईन, पटवारी क्षेत्र- चौरा तहसील व जिला- बागेश्वर के संलग्न प्रार्थना पत्र दिनांक 09.05.2023 में आपके पृष्ठांकन आदेश के अनुपालन में आख्या क्रमवार निम्नवत है —

1. ग्राम- पर्यो अन्तर्गत पट्टाधारक श्री आनन्दसिंह कालाकोटी के नाम 1.14 है० में खननपट्टा स्वीकृत है, पट्टाधारक द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों में किये गये खनन उपरान्त बने गड्ढे को समतल कर दिया गया है।

2. प्रार्थना पत्र में अंकित (i) श्री प्रकाशराम पुत्र साधुराम (ii) बलराम पुत्र लछमराम (iii) दरबानराम पुत्र श्री लछमराम (iv) हीराराम पुत्र लछमराम (v) गजनराम पुत्र लछमराम (vi) सोबनराम पुत्र लछमराम के मकान वर्तमान में खनन क्षेत्र से दूर हैं। उक्त में से बलराम पुत्र लछमराम - नवनिर्मित मकान में निवास नहीं करता है अपितु की खनन क्षेत्र के ऊपर की ओर के पुराने मकान में ही निवास करता है।

6/27

EC

श्रीमती हीरा देवी पत्नी मोहनराम व श्री कैलाशराम पुत्र तेजराम के भवन निर्माण का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है, जिसे भविष्य से [illegible] [illegible] से पूर्व [illegible] जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रकरण में खनन विभाग से भी आख्या ली जानी समीचीन होगा।

आख्या अवलोकनार्थ सेवा में सादर प्रेषित

16.05.2023

R.S.I. CHAURA

Teh. Bgr

संलग्न- प्रार्थना पत्र

पट्टाधारक का प्रार्थना पत्र

मूल में- 1 प्रति

श्री प्रकाशराम उम्र 42 वर्ष (करीब) पुत्र स्व. माधुराम ग्राम- पर्वो, रा० उ०मि० केन्द्र- चौरा, तहसील व जिला- बागेश्वर से पूछने पर बताया कि पदधारक श्री आनन्दबल्लभकोरी द्वारा मेरे भवन का निर्माण कार्य कर दिया गया एवं मैं मकान में सपरिवार निवास करता हूँ।

प्रकाशराम

श्रीमती हीरा देवी उम्र 60 वर्ष पत्नी स्व मोहनराम ग्राम - पर्वो, तहसील व जिला- बागेश्वर से पूछने पर बताया कि पदधारक श्री आनन्दबल्लभकोरी पुत्र हीराबल्लभ ग्राम- देवकाइ वालो द्वारा ग्राम- पर्वो में आजकल मेरे लिए मकान बनाया जा रहा है जिसमें आजकल काम चल रहा है।

नि० हीरा देवी

श्री दरबानराम पुत्र लछमराम (उम्र) 50 वर्ष एवं श्री हीराराम उम्र 43 वर्ष पुत्र लछमराम ग्राम- पर्वो, तहसील व जिला- बागेश्वर से पूछने पर अवगत कराया गया कि पदधारक श्री आनन्दबल्लभ कोरी ग्राम- देवकाइ द्वारा ग्राम- पर्वो में हमने जो मकान बनाये हैं उसकी धनराशि (पैसे) हमें दे दिये हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पदधारक से हमने पैसे प्राप्त कर लिये।

दरबानराम

हीरा राम

श्री राजनराम उम्र 52 वर्ष पुत्र लछमराम ग्राम- पर्वो तहसील व जिला- बागेश्वर से पूछने पर बताया कि श्री आनन्दबल्लभकोरी पदधारक द्वारा दी गयी धनराशि से मैंने स्वयं होकर ही मकान बना रखा है जिसमें मैं सपरिवार निवास करता हूँ।

राजनराम

ह० [illegible]

[illegible]

[illegible] ...R.B.K...CHANDRA



Scanned with CamScanner

श्री बलराम उम्र 56 वर्ष पुत्र स्व. लछमराम ग्राम- पपों, तहसील व जिला- बागेश्वर ने पूछने पर बताया कि ग्राम- पपों में मेरा मकान श्री पदाधारक श्री आनन्द कालाकोटी के खनन परिसर से ऊपर की ओर है। वर्तमान में मेरे द्वारा पदाधारक द्वारा दिये गये पैसे / धनराशि से दूसरा मकान बना लिया है, जिसके सत्यापन के लिए आप पधारे आये हैं।

बयान

श्री रमेशराम उम्र 35 वर्ष पुत्र लछमराम ग्राम- पपों, तहसील व जिला- बागेश्वर ने पूछने पर बताया कि पदाधारक श्री आनन्दसिंह कालाकोटी द्वारा दिये गये पैसे / धनराशि से मैंने अपना मकान खनन क्षेत्र के नजदीक से दूर बना लिया है। रमेश राम

रमेश राम

ह० [illegible] CHAUHAN



Scanned with CamScanner

श्री प्रकाशराम उम्र 42 वर्ष पुत्र स्व. आत्माराम ग्राम- पर्यो, रा०उ०
नि० क्षेत्र- चौरा, तहसील व जिला- बागेश्वर ने पूछने पर
बताया कि मैं ग्राम- पर्यो में सड़क के पास रहता हूँ,
मेरे मकान के बगल में पहाड़पानिक की आनन्दकालाकोटी द्वारा
श्रीमती हीरा देवी पत्नी स्व. मोहनराम ग्राम- पर्यो के लिए
मकान बनाने का कार्य करवाया जा रहा है और इसी
बगल में श्री कैलाशराम पुत्र तेजराम - ग्राम- पर्यो, तहसील व
जिला- बागेश्वर के लिए मकान बनाने का कार्य किया जा रहा है।
जिसकी शिकायत की गयी है।

ह० 12/2/12

आनन्द सिंह
RISHI CHAND
बयान

श्री हरीशराम उम्र 35 वर्ष पुत्र लक्ष्मणराम ग्राम



Scanned with CamScanner

Ann-8)
Annexure-8

Regional Office

# Uttarakhand Pollution Control Board

Awas Vikas Colony

Haldwani

## Analysis Report on Surface water

| | |
|---|---|
| Name of River/Lake | Nala near M/s Anand Singh Kalakoti Mine Vill-Papoli, District-Bageshwar |
| Sample Collected by | Dr. D. K Joshi RO<br>C.B Joshi MA |
| Date of Collection of Sample | 14.09.2023 |
| Date of completion of analysis | 25.09.2023 |
| Sampling point | Surface water source near Mine |

| S.No. | Parameters | Values | Test Method |
|---|---|---|---|
| 1 | Colour | Colourless | Visual |
| 2 | Odour | Odourless | Sensory |
| 3 | pH | 7.72 | Electrometric |
| 4 | DO (mg/L) | 7.8 | Winkler Method |
| 5 | E Conductivity (μmohs/cm) | 260 | Electrometric |
| 6 | Hardness (mg/L) as $CaCO_3$ | 240 | EDTA method |
| 7 | Calcium (mg/L) as $CaCO_3$ | 138 | EDTA method |
| 8 | Magnesium (mg/L) as $CaCO_3$ | 102 | By Calculation |
| 9 | Alkalinity (mg/L) | 172 | Visual titration |
| 10 | Chloride (mg/L) | 19 | Argentrometric |
| 11 | Total Dissolved Solids (mg/L) | 169 | Electrometric |
| 12 | BOD (mg/L) | 2.2 | Titrimetric Method |
| 13 | COD (mg/L) | 6.0 | Dichromate Reflux |

Scientific Assistant | Asstt. Scientific Officer | Regional Officer



Scanned with CamScanner

# संयुक्त निरीक्षण आख्या।

जिलाधिकारी महोदया के कार्यालय पत्र संख्या–482/तीस–खनन/2022–23 दिनांक–23.02.2023 से प्राप्त निर्देशों के क्रम में एवं शिकायतकर्ता श्री रघुवीर सिंह गड़िया पुत्र श्री दीवान सिंह गड़िया निवासी ग्राम दोफाड़ तहसील बागेश्वर के शिकायती पत्र दिनांक–22.02.2023 पर दिनांक–**15.03.2023** को जनपद एवं तहसील बागेश्वर के ग्राम पपों में स्थित पट्टाधारक श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दीवान सिंह कालाकोटी के खनन पट्टे का संयुक्त निरीक्षण उपजिलाधिकारी बागेश्वर ,उपनिदेशक/खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई बागेश्वर, शिकायतकर्ता श्री रघुवीर सिंह गढ़िया पुत्र स्व0 श्री दौलत सिंह गढ़िया के प्रतिनिधि श्रीमती कमला गड़िया पत्नी भूपाल सिंह, मुन्नी गढ़िया पुत्री दौलत सिंह एवं अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में किया गया। संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

01. कि ग्राम पपों तहसील बागेश्वर अन्तर्गत पट्टाधारक श्री आनन्द सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दीवान सिंह कालाकोटी ग्राम व पो0 दोफाड़ तहसील व जिला बगेश्वर के पक्ष में 02.81 एकड़ अथात् 01.14 है0 भूमि पर सोप स्टोन का खनन पट्टा स्वीकृत है। जिसमें पट्टाधारक द्वारा दिनांक 20.02.2023 से खनन कार्य प्रारम्भ किया गया है।

02. उक्त वर्णित खनन क्षेत्र शिकायतकर्ता/अन्य ग्रामीणों के आवासीय भवनों के नीचे खडड तरफ ढलान में स्थित है, जिसमें पूर्ववर्ती वर्षो में हुए खनन एवं तद्उपरान्त पट्टाधारक द्वारा वर्षाकाल से पूर्व खनन गढ्ढों को समतल नहीं करने से खनन क्षेत्र के पहाड़ी तरफ को भूस्खलन हुआ है।

03. शिकायतकर्ता/उनके भाई श्री भूपाल सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह के आवासीय मकान से उत्तर–पश्चिम दिशा की ओर 20 मीटर की दूरी तक भूस्लखन हुआ है एवं वर्तमान में पट्टाधारक द्वारा उनके आवासीय मकान से नीचे की ओर करीब 115 मीटर की दूरी पर स्वीकृत क्षेत्र के अन्तर्गत खनन कार्य किया जा रहा है। उपरोक्त के दृष्टिगत निकट भविष्य में खनन कार्य से उक्त वर्णित मकानों एवं समीप में निवासरत श्री तेज राम पुत्र फकीर राम व श्री बलवन्त राम पुत्र लछम राम ग्राम पपों के आवासीय मकानों को खतरा सम्भावित है।

04. स्थल पर मौजूद शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि श्रीमती कमला देवी पत्नी भूपाल सिंह द्वारा खनन क्षेत्रान्तर्गत जिन खेतों को पट्टाधारक द्वारा खड़िया खनन से नुकसान करने की बात कही गयी, का मिलान भू–अभिलेखों से करने पर वह भूमि शिकायतकर्ता के स्वामित्व की होनी नहीं पायी गयी। जो कि ग्राम पपों की ज0वि0ख0खा0संख्या–00035 बसरह संख्या–1156 में श्री हयात सिंह पुत्र तेज सिंह आदि के नाम से एक बृहत संयुक्त खाते की भूमि है।

05. पट्टाधारक द्वारा पूर्ववर्ती वर्षो में किये गये खनन कार्य के कारण हुए भूस्खलन से ग्राम पपों की गैर ज0वि0खतौनी श्रेणी 10(2) खाता संख्या–39 के खसरा संख्या–2856 क्षेत्रफल 0.013 है0, जो रास्ते के रूप में दर्ज है, पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुआ है। उक्त के अतिरिक्त वर्णित खाता संख्या–39 में दर्ज खसरा संख्या–2923 क्षेत्रफल 0.048 है0 मध्ये लगभग 300 वर्गमीटर (100X3 मीटर) रास्ते में खनन का मलुवा डालने से क्षतिग्रस्त किया गया है।

06. संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा पूर्ववर्ती वर्षो में किये गये खनन उपरान्त यथासमय खनन के गढ्ढे समतल न करने के कारण बैड़ा मझैडा–पपों–दोफाड़ मोटर मार्ग को भी खतरा सम्भावित है।

07. पट्टाधारक द्वारा किये जा रहे सोप स्टोन खनन से वर्तमान में कोई पेयजल लाईन क्षतिग्रस्त होनी नहीं पायी गयी। कि पट्टाधारक वर्तमान में खनन कार्य हेतु खनन क्षेत्र में 02 जे0सी0बी0 मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भारी उपकरण से खनन कार्य किया जाना नहीं पाया गया। खनन क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता के आवासीय भवनों में दरार आनी नहीं पायी गयी।

अतः उपर्युक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या सादर प्रेषित है।

| | | |
|---|---|---|
| राजस्व उपनिरीक्षक, चौंरा | उपनिदेशक/खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, बागेश्वर। | उपजिलाधिकारी, बागेश्वर। |

महत्वपूर्ण

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर
संख्याः-604 /तीस-खनन/2022-23 दिनांक 11 / 4 / 2023

1.उपजिलाधिकारी,
बागेश्वर। ✓
2.उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,बागेश्वर।

कार्यालय उपजिलाधिकारी बागेश्वर
डाक प्राप्ति संख्या 1335 दि० 12/4/23

R.A
S.D.M
12/4/23

विषयः- आनंद सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दीवान सिंह कालाकोटी ,पता ग्राम व पो0 दोफाड़,जिला बागेश्वर,उत्तराखण्ड द्वारा ग्राम पपों, तहसील व जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में अवैध खड़िया खनन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र।

----

उपर्युक्त विषयक श्री पूरन राम टम्टा,श्री तेज राम, श्री दीवान राम, श्री चंचल राम, श्री गोपालराम,श्री बलराम, श्री हरीश राम निवासी ग्राम व पो0 पपों, तहसील व जनपद बागेश्वर के संयुक्त हस्ताक्षरित ई-मेल प्रार्थना पत्र ,जो दिनांक 06.04.2023 को इस कार्यालय को प्राप्त है,का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें,जिसके अंतर्गत अवगत कराया गया है कि प्रार्थीगण ग्राम पंचायत पपों,विकास खण्ड बागेश्वर के स्थायी निवासी हैं। श्री आनंद सिंह कालाकोटी द्वारा ग्राम पंचायत पपों में वर्ष-1998-99 से लगातार जे0सी0बी0 के माध्यम से खनन कार्य किया जा रहा है। सन् 2015-16 में आनंद सिंह कालाकोटी द्वारा बाहरी व्यक्ति श्री सतीश गुप्ता को पार्टनर बनाकर लाया गया। वर्ष-2020-21 में आनंद सिंह द्वारा फिर से बाहरी व्यक्ति हंसा भट्ट व हरीश तिवारी को पार्टनर बनाकर खान में लेकर आया। वर्तमान में आनंद सिंह द्वारा स्वंय गांव में न आकर बाहरी व्यक्तियों को गांव में भेजकर बेरोकटोक खनन का कार्य कराया जा रहा है। ग्रामवासियों द्वारा ग्राम में खड़िया खनन का कार्य नहीं रोके जाने से अप्रिय घटना घटित होने का अंदेशा बना होने का उल्लेख करते हुए उक्त क्षेत्र में खड़िया खनन से जो वेस्ट गधेरों के माध्यम से पुंगर नदी में आता है ,जो फिर सरयू नदी में मिलता है,जिसके कारण विभिन्न प्रकार के जलचर प्राणियों/जीवों की जान चली जाती है। ग्रामवासियों द्वारा एक बार गांव का भ्रमण कर न्याय दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि कार्यालय पत्र संख्या-1188/तीस-खनन/2020-21 दिनांक 28.09.2021 से उपजिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्र संख्या-1476 दिनांक 19 अगस्त, 2021 से प्रस्तुत आख्या के आधार पर पट्टाधारक को कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए कमियों के दृष्टिगत आगामी खनन सत्र में अग्रिम आदेशों तक पट्टाधारक के खनन क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य पर रोक लगायी गयी है। इसके अतिरिक्त उक्त नोटिस के कम में पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र संख्या-775(1)तीस-खनन/2021-22 दिनांक 09.06.2022 से व पत्र संख्या-68/तीस-खनन/2021-22 दिनांक 03.11.2022 से प्रकरण पर वर्तमान अद्यतन स्थिति से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं,जिसके संदर्भ में आपके स्तर से आख्या इस कार्यालय को आतिथि तक अप्राप्त है।

अतः श्री पूरन राम टम्टा व अन्य के ई-मेल प्रार्थना पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित की जा रही है कि उक्त पत्र में अंकित तथ्यों व कार्यालय पत्र संख्या-1188/तीस-खनन/2020-21 दिनांक 28.09.2021 से पट्टाधारक के खनन क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य पर रोक लगाये जाने के फलस्वरूप क्या पट्टाधारक द्वारा खनन क्षेत्र मे बिना अनुमति के खनन कार्य संचालित किया जा रहा है,के संबंध में जॉचोपरांत अपनी सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध कराये जाने के साथ-साथ पत्र संख्या-68/तीस-खनन/2021-22 दिनांक 03.11.2022 से प्रकरण पर वांछित वर्तमान अद्यतन स्थिति से तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें,ताकि तदनुसार प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही संपादित की जा सके।
संलग्न-यथोक्त।

प्रभारी अधिकारी,खनन
कृते जिलाधिकारी,बागेश्वर।

प्रतिलिपि, प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर को उक्त ई-मेल प्रार्थना पत्र की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्न-यथोक्त।

प्रभारी अधिकारी,खनन
कृते जिलाधिकारी,बागेश्वर।



Scanned with CamScanner

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
जनपद कार्यालय, बागेश्वर।

संख्या 104 /खनन/भू0खनि0वि0/जन0बागे0/2023–24, दिनांकः 25.05.2023

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

विषयः– आनंद सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दीवान सिंह कालाकोटी, पता ग्राम व पो0 दोफाड़, जिला बागेश्वर, उत्तराखण्ड द्वारा ग्राम पपों, तहसील व जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में अवैध खड़िया खनन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 604/तीस–खनन/2022–23 दिनांक 11.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से श्री पूरन राम टम्टा, श्री तेज राम, श्री दीवान राम, श्री चंचल राम, श्री गोपालराम, श्री बलराम, श्री हरीश राम निवासी ग्राम व पो0 पपों, तहसील व जनपद बागेश्वर के संयुक्त हस्ताक्षरित ई–मेल प्रार्थना पत्र के द्वारा श्री आनंद सिंह कालाकोटी द्वारा ग्राम पपों में किये जा रहे खनन कार्य के सम्बन्ध में की गयी शिकायतों के सम्बन्ध में जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण में दिनांक 13.05.2023 को राजस्व विभाग तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर द्वारा पट्टाधारक श्री आनंद सिंह कालाकोटी तथा सम्बन्धित शिकायतकर्ताओं तथा अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण किया गया। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी बागेश्वर के नोटिस पत्र संख्या 1188/तीस–खनन/2020–21 दिनांक 28.09.2021 द्वारा पट्टाधारक श्री आनंद सिंह कालाकोटी के स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत अनियमिततायें पाये जाने के कारण खनन कार्य पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगायी गयी है। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा महोदया के उपरोक्त पत्र के क्रम में पूर्ववर्ती वर्षों में खनन कार्यो के दौरान निर्मित गड्ढों को मशीन द्वारा भरने के साथ–साथ ही निकट स्थित पिट में 06 मजदूरों द्वारा खनिजों के खनन का कार्य भी कराया जा रहा था तथा कार्य से खनिजों का उत्पादन हुआ है व उत्खनित खनिजों को कट्टों में भरकर पिट के समीप ढेर लगाया गया है। मौके पर उक्त ढेर की पैमाइश की गयी जिसकी औसत लम्बाई 28 मी0, औसत चौड़ाई 04 मी0 तथा औसत ऊंचाई 1.5 मी0 है इस प्रकार कुल 168 घनमीटर सोपस्टोन का भण्डारण किया गया है, जो कि जिलाधिकारी महोदया के उपरोक्त आदेश दिनांक 28.09.2021 का उल्लंघन है। अतः शासनादेश संख्या 1874/VII-1/2021 /158–ख–04टीसी, देहरादूनः दिनांक 10 नवम्बर, 2021 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के अध्याय 3 के प्रस्तर–14 (5) 'क' तथा 'ख' के अनुसार रॉयल्टी का दो गुना रूपया 900 की दर से कुल रू0 3,32,640.00 (रू0 तीन लाख बत्तीस हजार छः सौ चालीस) का अर्थदण्ड अधिरोपित होता है। उक्त 168 घनमीटर सोपस्टोन को पट्टाधारक के सुपुर्दगी में इस हिदायत के साथ दिया गया है कि जिलाधिकारी महोदया के अग्रिम आदेश तक उक्त को खुर्द–बुर्द ना किया जाय। पट्टाधारक को यह भी हिदायत दी गयी कि जिलाधिकारी महोदया द्वारा खनन कार्य पर लगी रोक को हटाये जाने तक पट्टा क्षेत्रान्तर्गत खंनिज निकासी/खनन कार्य बन्द रखें।

अतः उक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर पट्टाधारक श्री आनंद सिंह कालकोटी पर उपरोक्तानुसार अधिरोपित अर्थदण्ड को वसूल किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित सादर प्रेषित।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(वीरेन्द्र कुमार सिंह)
उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी

संख्या 104/खनन/भू0खनि0वि0/जन0बागे0/2023–24, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी



Scanned with CamScanner

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
जनपद कार्यालय, बागेश्वर।

संख्या 104 /खनन/भू0खनि0वि0/जन0बागे0/2023-24, दिनांकः 25.05.2023

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

विषयः- आनंद सिंह कालाकोटी पुत्र श्री दीवान सिंह कालाकोटी, पता ग्राम व पो0 दोफाड़, जिला बागेश्वर, उत्तराखण्ड द्वारा ग्राम पपों, तहसील व जिला बागेश्वर उत्तराखण्ड में अवैध खड़िया खनन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र संख्या 604/तीस-खनन/2022-23 दिनांक 11.04.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से श्री पूरन राम टम्टा, श्री तेज राम, श्री दीवान राम, श्री चंचल राम, श्री गोपालराम, श्री बलराम, श्री हरीश राम निवासी ग्राम व पो0 पपों, तहसील व जनपद बागेश्वर के संयुक्त हस्ताक्षरित ई-मेल प्रार्थना पत्र के द्वारा श्री आनंद सिंह कालाकोटी द्वारा ग्राम पपों में किये जा रहे खनन कार्य के सम्बन्ध में की गयी शिकायतों के सम्बन्ध में जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण में दिनांक 13.05.2023 को राजस्व विभाग तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, बागेश्वर द्वारा पट्टाधारक श्री आनंद सिंह कालाकोटी तथा सम्बन्धित शिकायतकर्ताओं तथा अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति मे स्थलीय निरीक्षण किया गया। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी बागेश्वर के नोटिस पत्र संख्या 1188/तीस-खनन/2020-21 दिनांक 28.09.2021 द्वारा पट्टाधारक श्री आनंद सिंह कालाकोटी के स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टा क्षेत्रान्र्तत अनियमिततायें पाये जाने के कारण खनन कार्य पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगायी गयी है। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पट्टाधारक द्वारा महोदया के उपरोक्त पत्र के क्रम में पूर्ववर्ती वर्षों में खनन कार्यों के दौरान निर्मित गड्ढों को मशीन द्वारा भरने के साथ-साथ ही निकट स्थित पिट में 06 मजदूरों द्वारा खनिजों के खनन का कार्य भी कराया जा रहा था तथा कार्य से खनिजों का उत्पादन हुआ है व उत्खनित खनिजों को कट्टों में भरकर पिट के समीप ढेर लगाया गया है। मौके पर उक्त ढेर की पैमाइश की गयी जिसकी औसत लम्बाई 28 मी0, औसत चौड़ाई 04 मी0 तथा औसत ऊंचाई 1.5 मी0 है इस प्रकार कुल 168 घनमीटर सोपस्टोन का भण्डारण किया गया है, जो कि जिलाधिकारी महोदया के उपरोक्त आदेश दिनांक 28.09.2021 का उल्लंघन है। अतः शासनादेश संख्या 1874/VII-1/2021 /158-ख-04टीसी, देहरादूनः दिनांक 10 नवम्बर, 2021 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के अध्याय 3 के प्रस्तर-14 (5) 'क' तथा 'ख' के अनुसार रॉयल्टी का दो गुना रूपया 900 की दर से कुल रू0 3,32,640.00 (रू0 तीन लाख बत्तीस हजार छः सौ चालीस) का अर्थदण्ड अधिरोपित होता है। उक्त 168 घनमीटर सोपस्टोन को पट्टाधारक के सुपुर्दगी में इस हिदायत के साथ दिया गया है कि जिलाधिकारी महोदया के अग्रिम आदेश तक उक्त को खुर्द-बुर्द ना किया जाय। पट्टाधारक को यह भी हिदायत दी गयी कि जिलाधिकारी महोदया द्वारा खनन कार्य पर लगी रोक को हटाये जाने तक पट्टा क्षेत्रान्तर्गत खंनिज निकासी/खनन कार्य बन्द रखें।

अतः उक्तानुसार संयुक्त निरीक्षण आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर पट्टाधारक श्री आनंद सिंह कालकोटी पर उपरोक्तानुसार अधिरोपित अर्थदण्ड को वसूल किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित सादर प्रेषित।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(वीरेन्द्र कुमार सिंह)
उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी

संख्या 104/खनन/भू0खनि0वि0/जन0बागे0/2023-24, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी



Scanned with CamScanner

# फर्द बरामदगी

जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर के कार्यालय पत्र संख्या-604/ तीस-खनन/ 2022-23 दिनांक 11/4/2023 एवं अपर जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर के कार्यालय पत्र संख्या-171/ रा० अ०- खनन जाँच/2022-23 दिनांक 26 अप्रैल 2023 के क्रम में दिनांक 13.05.2023 को प्र० लेख एवं खनिकर्म इकाई बागेश्वर व राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से शिकायतकर्ता श्री दीवानराम, श्री पूरनराम, श्री [illegible] श्री दरबानसिंह गड़िया आदि अन्य ग्रामीणों व पट्टाधारक श्री आनन्दसिंह कालाकोटी की उपस्थिति में ग्राम-घर्पों अन्तर्गत सभी आवश्यक अभिलेखों के स्वीकृत खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया गया चूँकि जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर के पत्र संख्या- 1188/ तीस-खनन/ 2020-21 दिनांक 28/09/2021 के अनुसार पट्टाधारक के सोपस्टोन खनन पर रोक है, परन्तु इसके बावजूद भी पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र से सोपस्टोन को निकालकर कट्टों/ बोरों में भरकर पिट के समीप में ढेर लगाया गया है जिसकी औसत लम्बाई 28 मीटर, औसत चौड़ाई 4 मी० एवं औसत ऊँचाई 1.5 मी० पायी गयी, तदनुसार कुल 28 मी × 4 मी० × 1.5 मी = 168 घन मीटर उपखनिज सोपस्टोन का खनन कर भण्डारण जिलाधिकारी महोदय के आदेश के बिना अवैध रूप से किया गया है जिस पर उत्तराखण्ड खनिज अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण नियमावली 2021 के नियम संख्या- 14(5) के एवं [illegible] के अनुसार ₹ 332640=00 (तीन लाख बत्तीस हजार छः सौ चालीस ₹) अधिरोपित होती है जिसकी वसूली पट्टाधारक से की जानी होगी।

जाँच तिथि को पट्टाधारक द्वारा जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर के उक्त आदेश के क्रम में सोप स्टोन खनन का कार्य स्थगित किया जाना पाया गया एवं उनके द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों में किये गये सोपस्टोन खनन के गड्ढों/गड्ढा को समतलीकरण किया जाना पाया गया।

उक्त 168 घन मीटर सोप स्टोन के ढेर को जब्तकर पट्टाधारक श्री आनन्द सिंह कालाकोटी के सुपुर्दगी में इस हिदायत के साथ किया गया कि जिलाधिकारी महोदय के अग्रिम आदेश तक उसे खुर्द-बुर्द ना करें, अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा मौके पर पट्टाधारक श्री आनन्दसिंह कालाकोटी को खनिज का खनन जिलाधिकारी महोदय के आदेश होने तक ना करने की हिदायत दी गयी।

फर्द मौके पर तैयार कर बाद पढ़ने-पढ़ाने उपरान्त हस्ताक्षर लिये गये।

सुपुर्दगी प्राप्त की
Kalakoti
13.5.2023

[signature]
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षे०/ग्रा० रा०उ०नि०

[signature] 13.05.2023
R.S. TCHAURA
Tah. Bgr

[signature] 13/5/23
Dy. Dir./S.MO
Deptt. of Geology & Mining
Bageshwar



Scanned with CamScanner

कार्यालय उपजिलाधिकारी बागेश्वर
डाक प्राप्त संख्या 1715 दि० 7/6/23

## निर्णय

श्री आनन्द सिंह कालाकोटी, पट्टाधारक सोपस्टोन माइन, पपों, तहसील व जनपद बागेश्वर के प्रकरण में उपजिलाधिकारी,बागेश्वर से प्राप्त जाँच आख्या दिनांक 19 अगस्त, 2021 के अनुसार दिनांक 28.09.2021 को नोटिस निर्गत किये जाने उपरांत भी खनन कार्य से बने गड्ढों को समतल व भरे जाने और ना ही पिट में भरे हुए पानी की निकासी का कोई प्रबंध किये जाने व ग्रामीणों को उनके नाप खेतों से खनन के एवज में दिये जाने वाले मुआवजे की धनराशि न दिये जाने आदि के संबंध में उन्हें कारण बताओ नोटिस निर्गत करते हुए अग्रिम आदेशों तक पट्टाधारक के खनन क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य पर रोक लगायी गयी। किन्तु पट्टाधारक द्वारा आदेश का पालन न करते हुए स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य किया गया है और आदेशों की अवहेलना करने पर अवैध रूप से उत्खनित उपखनिज सोपस्टोन की मात्रा 168 घनमीटर अर्थात 369.6 टन पर रू0 3,32,640.00(रू0 तीन लाख बत्तीस हजार छः सौ चालीस मात्र) अधिरोपित किये जाने के संबंध में पट्टाधारक को अपना लिखित पक्ष पुष्ट साक्ष्यों सहित दिनांक 02.06.2023 को सुनवाई में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।

उपजिलाधिकारी, बागेश्वर की आख्या दिनांक 26 मई, 2023 के अनुसार श्री आनंद सिंह कालाकोटी पट्टाधारक पपों सोपस्टोन माइन ग्राम पपों, तहसील बागेश्वर के प्रार्थना पत्र दिनांक 09.05.2023 ,जिसमें उनके द्वारा पूर्व खनन काल में खनिज निकासी के दौरान बने गड्ढों/पिट का समतलीकरण व जलभराव को पूर्णतः ठीक कर दिये जाने व खनन क्षेत्र से प्रभावित परिवारों के मकान निर्माण कार्य को पूर्ण करने, पूर्व वर्षों में किये गये खनन उपरांत बने गड्ढों को समतल कर देने व 01.श्री प्रकाश राम पुत्र साधु राम 02. श्री बलराम पुत्र लछम राम 03. श्री दरवान राम पुत्र लछम राम 04. श्री हीरा राम पुत्र लछम राम 05. श्री राजन राम पुत्र लछम राम 06. श्री रमेश राम पुत्र लछम राम के मकान वर्तमान में खनन क्षेत्र से दूर बने होने तथा उक्त में से श्री बलराम पुत्र लछम राम नवनिर्मित मकान में निवास न करने व खनन क्षेत्र से ऊपर की ओर बने पुराने मकान में ही निवास करने, श्रीमती हीरा देवी पत्नी मोहन राम व श्री कैलाश राम पुत्र तेज राम के भवन निर्माण का कार्य वर्तमान गतिमान होने से शीघ्रता से मानसून सत्र से पूर्व पूर्ण कराये जाने के निर्देश पट्टाधारक को दिये गये। प्रभावित श्री प्रकाश राम, हीरा देवी, दरपान राम, हीरा राम, राजन राम, बल राम, रमेश राम व प्रकाश राम द्वारा भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किये जाने संबंधित बात की पुष्टि की गयी एवं खनन से हुए भूस्खलन की रोकथाम हेतु पट्टाधारक द्वारा मौके पर अत्यंत न्यून मात्रा में सुरक्षात्मक निर्माण कार्य कराये जाने का उल्लेख करते हुए वर्तमान में अत्यधिक मात्रा में आगामी मानसून को दृष्टिगत रखते हुए सुरक्षात्मक कार्य शेष होना उल्लिखित है।

उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी,बागेश्वर द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.05.2023 से स्पष्ट किया गया है कि प्रकरण में दिनांक 13.05.2023 को राजस्व विभाग तथा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,बागेश्वर द्वारा पट्टाधारक श्री आनंद सिंह कालाकोटी तथा संबंधित शिकायतकर्ताओं तथा अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में स्थलीय निरीक्षण किया गया। अधोहस्ताक्षरी के आदेश दिनांक 28.09.2021 से द्वारा पट्टाधारक श्री आनद सिंह कालाकोटी के स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत अनियमिततायें पाये जाने के कारण खनन कार्य पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगायी गयी है। स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पट्टाधारक के खनन क्षेत्रान्तर्गत उत्खनित खनिजों को कट्टों में भरकर पिट के समीप ढेर लगाया गया है। मौके पर उक्त ढेर की पैमाइश की गयी जिसकी औसत लंबाई 20 मी0,औसत चौड़ाई 04 मी0 तथा औसत ऊंचाई 1.5 मी0 है,इस प्रकार कुल 168 घनमीटर सोपस्टोन का भण्डारण किया गया है, जो कि आदेश दिनांक 28.09.2021 का उल्लंघन होने पर "उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण)नियमावली, 2021 के अधय–3 के प्रस्तर–14(5)क तथा ख के अनुसार रॉयल्टी का दो गुना रू0 900 की दर से कुल रू0 3,32,640 (रू0 तीन लाख बत्तीस हजार छः सौ चालीस)का अर्थदण्ड होता है।

स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर स्वीकृत खनन क्षेत्रान्तर्गत उत्खनित उपखनिज सोपस्टोन 168 घनमीटर अर्थात 369.6 टन पर वर्तमान में प्रचलित उत्तराखण्ड खनिज(अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण)नियमावली, 2021 के अध्याय 3 के प्रस्तर–14(5)(क)(ख)अनुसार रॉयल्टी का 2 गुना अर्थात(369.6×450×2)रू0 3,32,640.00(रू0 तीन लाख बत्तीस हजार छः सौ चालीस मात्र)की धनराशि देय होने से धनराशि पट्टाधारक से वसूल किये जाने की संस्तुति की गयी है।

दिनांक 02.06.2023 को नियत सुनवाई की तिथि को निम्नांकित की उपस्थिति में विषयगत प्रकरण की सुनवाई की गयीः–

1. श्री हर गिरी, उपजिलाधिकारी, बागेश्वर।
2. श्री आर0के0 आर्य, प्रभारी अधिकारी, खनन जिला कार्यालय,बागेश्वर।
3. श्री बसंत बल्लभ पाठक, जिला शासकीय अधिवक्ता, सिविल बागेश्वर।
4. श्री नितेश कृष्ण थपलियाल, प्रतिनिध उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी,भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,बागेश्वर।
5. श्री आनन्द सिंह कालाकोटी, पट्टाधारक, सोपस्टोन माईन पपों, ग्राम पपों, तहसील व जनपद बागेश्वर।

सुनवाई में विपक्षी/पट्टाधारक द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई लिखित प्रत्युत्तर/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। किन्तु सुनवाई उपरांत पृथक से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 02.06.2023 से स्वीकृत क्षेत्र में बिना अनुमति के खनन कार्य किया जाना स्वीकार करते हुए अवैध खनन के एवज में लगाये गये अर्थदण्ड रू0 3,32,640/–को राज्य सरकार के पक्ष में जमा करने की सहमति व्यक्त करते हुए उक्त धनराशि को 15 दिन में जमा करने का समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

सुनवाई में श्री नितेश कृष्ण थपलियाल प्रतिनिधि, उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी,बागेश्वर द्वारा द्वारा संयुक्त जाँच रिपोर्ट दिनांक 13.05.2023 का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि अवैध खनन के फलस्वरूप ही विपक्षी/पट्टाधारक पर लगाया गया अर्थदण्ड सर्वथा उपयुक्त पाया गया।



Scanned with CamScanner

राज्य सरकार की ओर से सुनवाई में उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि पट्टाधारक पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली,2021 के अध्याय 03 के प्रस्तर–14(5)(क)(ख)के अनुसार जो अर्थदण्ड लगाया गया है वह राज्य सरकार के पक्ष में वसूला जाना विधिसंगत होने के साथ ही नियमानुकूल है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष को विस्तार से सुना गया एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक रूप से अनुशीलन सहित अध्ययन किया गया और उपलब्ध अभिलेखों व साक्ष्यों के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि होती है कि विपक्षी/खनन पट्टाधारक द्वारा अपने स्वीकृत खनन क्षेत्रान्तर्गत अधोहस्ताक्षरी के आदेश की अवहेलना कर अवैध खनन किया गया है। विपक्षी द्वारा अपने समर्थन में कोई लिखित अभिकथन/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा सुनवाई के समय स्वीकृत खनन क्षेत्र में अवैध खनन होना स्वीकार करते हुए देय धनराशि को जमा किये जाने हेतु 15 दिन का समय प्रदान करने की प्रार्थना की गयी।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं जिला मजिस्ट्रेट,बागेश्वर पट्टाधारक के विरूद्व अवैध रूप से उत्खनिज उपखनिज सोपस्टोन 168 टन अर्थात 369.6 घनमीटर सोपस्टोन पर लगाये गये अर्थदण्ड की धनराशि रू0 3,32,640.00(रू0 तीन लाख बत्तीस हजार छः सौ चालीस रू0 मात्र) को अधिरोपित किये जाने को नियमानुसार सही/उचित होना पाती हूँ।

## आदेश

विपक्षी/पट्टाधारक के विरूद्व कार्यालय द्वारा जारी नोटिस दिनांक 31.05.2023 की पुष्टि की जाती है। उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन,परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली–2021 के अध्याय 03 के प्रस्तर–14(5) (क)(ख)के अनुसार अवैध खननकर्ता श्री आनन्द सिंह कालाकोटी, पट्टाधारक सोपस्टोन माइन, ग्राम पपों, तहसील व जनपद बागेश्वर के विरूद्व स्वीकृत पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आदेशों की अवहेलना कर अवैध रूप से उत्खनित उपखनिज सोपस्टोन की मात्रा 168 घनमीटर अर्थात 369.6 टन पर घनमीटर पर वर्तमान प्रचलित रॉयल्टी का 2 गुना अर्थात(369.6×450×2)रू0 3,32,640.00(रू0 तीन लाख बत्तीस हजार छः सौ चालीस रूपये मात्र)की धनराशि अधिरोपित के साथ ही साथ वर्तमान में बन्द खान को पुनः संचालित किए जाने के लिए पट्टाधारक को निर्देशित किया जाता है।

अतः विपक्षी/पट्टाधारक को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार अधिरोपित धनराशि रू0 3,32,640.00(रू0 तीन लाख बत्तीस हजार छः सौ चालीस रूपये मात्र)आदेश प्राप्ति के 15 दिन के भीतर निर्धारित लेखाशीर्षक में अनिवार्य रूप से जमा करते हुए आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। धनराशि के नियत समयान्तर्गत राजकोष में जमा न करने की दशा में धनराशि की वसूली भू–राजस्व की भॉति की जायेगी।

इसके अतिरिक्त पूर्व में निर्गत आदेश दिनांक 28.09.2021 में निहित निर्गत निर्देशों के अनुरूप सुरक्षात्मक समस्त उपाय तथा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं एक सप्ताह में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। कार्यवाही पूर्ण होने उपरान्त ही बन्द पड़े खनन कार्य व पोर्टल को संचालित किए जाने के निर्देश पृथक से निर्गत किए जायेगें।

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी,बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर

संख्याः-829 /तीस– /खनन–नो0/(2018–19)/2022–23 दिनांक 6 6 / 2023

**प्रतिलिपिः–** निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उपजिलाधिकारी,बागेश्वर।
2. उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,बागेश्वर।
3. श्री आनन्द सिंह कालाकोटी, पट्टाधारक सोपस्टोन माइन पपों,तहसील व जनपद बागेश्वर।
4. तहसीलदार,बागेश्वर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति संबंधित पट्टाधारक/अधिकृत प्रतिनिधि पर तामील कराने उपरांत उनके सतिथि हस्ताक्षर लेते हुए तमीली रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी,बागेश्वर।



Scanned with CamScanner

IFMS Uttarakhand

# e-Challan

Bank Reff. No. - CPACWKGGD6

Treasury Form-209(1)
Financial Handbook Vol. V, Part- II
Form No. 43A(1)
(See Paragraph 417 and 478)
Challan form for depositing amount

Name of the Treasury/Sub-Treasury/Bank/Bank Branch - State Bank Of India (Payment Gateway)

Status : (S) Completed successfully.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Name of the person (designation if necessary or Organization on whose behalf amount is being paid. | ANAND SINGH KALAKOTI |
| 2 | Address | PAPON DOFAR BAGESHWAR |
| 3 | Registration Number (if necessary) | |
| 4 | Full details of amount to be deposited (for which purpose and in favour of) | in the order of dm bageshwar 628 dated 6623 penalty ithree lakh thirty two thousand six hundred fourty deposited |
| 5 | Gross value of Challan | 332640 |
| 6 | Net value of Challan | 332640 |
| 7 | Deaprtment | Director Industries |
| 8 | Related office for which challan is to be deposit | District Mine Officer Bageshwar |
| 9 | Full details of Head of Account | 0853 - Non-ferrous Mining and Metallurgical Industries |
| 10 | 13 Digit code of Head of A/c | As per details below |

| SL No. | Services | Detail Head | Amount |
|---|---|---|---|
| 1 | Mineral Concession Fee rent and interest charges. | 0853001020100 | 332640 |
| | Total Challan Amount- | | 332640 |

Amount (in words) - Rs. Three Lakh Thirty-Two Thousand Six Hundred Forty only

Signature of departmental officer with seal

ANAND SINGH KALAKOTI

---

Challan No- 08530723E0002076

Date - 01-JUL-2023

Amount in Figure(Rs.) - 332640

Amount in words - Rs. Three Lakh Thirty-Two Thousand Six Hundred Forty only

Received Through

Bank Reff. No. - CPACWKGGD6

State Bank Of India (Payment Gateway)



Scanned with CamScanner